187

शिमला विकास प्राधिकरण, शिमला-171009 की लेखा परीक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/90 से 3/91 तक

" भाग - I "

1. गत लेखा परीक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन :-

गत वर्षों की लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है । इनमें कई वर्षों से चल रहे बकाया पैरों पर अब शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुवर्तन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करें ।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 :-

(1) पैरा 10(बी)(डी)(एफ) निर्णीत । (रु0 23/-80 को वसूली रसीद सं0:43314 दि0 8.5.93 के अन्तर्गत कर ली गई है)

(2) पैरा 10 (ए)(3) निर्णीत ।

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 :-

(1) पैरा 24 (ए)(2) अनिर्णीत ।

(2) पैरा 24(सी)(7) अनिर्णीत ।

(3) पैरा 25(4) निर्णीत ।

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 :-

(1) पैरा 5 निर्णीत ।

(2) पैरा 9 आंशिक रूप से निर्णीत । अभी तक ठेकेदारों/संविदाकारों से प्राप्त धरोहर तथा प्रतिभूति प्राप्त रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है ।

(3) पैरा 11 यह पैरा है पत्राचार पत्र में आगे से लिया गया है । अतः यहाँ समाप्त समझा जाये ।

(4) पैरा 13(5) निर्णीत ।

- 188 -

====================================

(5) पेरा 13(7) अनिर्णीत ।

(6) पेरा 14 अनिर्णीत ।

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 1987-88 :-

(1) पेरा 6(बी) निर्णीत ।(रु0 35/-रु0 को वसूली रसीद संख्या:34099 दिनांक 7.4.93 के अन्तर्गत की गई)

(2) पेरा 6(सी) निर्णीत ।

(3) पेरा 6(जी) निर्णीत(स्वीकृति दिखा दी गई)

(4) पेरा 6(के) अनिर्णीत ।

(5) पेरा 7 निर्णीत(वसूली की गई है)

(6) पेरा 8(ए) निर्णीत ।

(7) पेरा 8 (बी) अनिर्णीत ।

(8) पेरा 9 (4) अनिर्णीत ।

(9) पेरा 11 अनिर्णीत ।

(10) पेरा 12 निर्णीत । (रुपये 502/- तथा 1004.39 रुपये सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल कर लिए है)

(ङ•) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 1988-89 :-

(1) पेरा 4 निर्णीत ।

(2) पेरा 6 अनिर्णीत ।

(3) पेरा 7 अनिर्णीत ।

(4) पेरा 8 (क से ज तक) अनिर्णीत ।

(5) पेरा 9 अनिर्णीत ।

(6) पेरा 10 ""

(7) पेरा 11 ""

(8) पेरा 12(क) ""

(9) पेरा 12(ख) ""

(10) पेरा 12 (ग) ""

(11) पेरा 12 (घ) ""

— 189 —

---

(12) पेरा 12 (ड.) अनिर्णीत ।

(13) पेरा 12 (च) " " " "

(14) पेरा 13(ए) निर्णीत । (इस पेरा में दर्शाई गई वसूलियाँ कर ली गई हैं)

(15) पेरा 13(बो) निर्णीत " " " "

(16) पेरा 14 (क) अनिर्णीत ।

(17) पेरा 14(ख) अनिर्णीत ।

(18) पेरा 15(क) निर्णीत ।

(19) पेरा 15 (ख) निर्णीत ।

(20) पेरा 15 (ग) अनिर्णीत ।

(21) पेरा 15 (घ) अनिर्णीत ।

(22) पेरा 15 (ड॰) अनिर्णीत ।

पैरा 15 (ख)?

(23) पेरा 16 (क) निर्णीत ।

(24) पेरा 16 (ख) निर्णीत । (ट्रैक काल की वसूलियाँ रु0 198/-रु0 सम्बन्धित कर्मचारियों से ली गई है ।)

(25) पेरा 16 (ग) रु0 10/-रु0 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर ली गई है ।

(26) पेरा 17 (क) आंशिक रूप से निर्णीत (रु0 57/-रु0 की वसूली डो0 शर्मा से रसीद सं0 632 दिनांक 3.3.93 द्वारा [illegible] है) तथा श्री के0एन0 शर्मा, सहायक अभियन्ता से [illegible]/- की वसूली की जानी है)

(27) पेरा 17 (ख) अनिर्णीत ।

(28) पेरा 18 अनिर्णीत ।

(29) पेरा 19 (क) निर्णीत ।

(30) पेरा 19 (ख) निर्णीत ।

(31) पेरा 20 निर्णीत । (जमा [illegible] देख लिया गया है)

वाली नहीं की गई है । जहाँ तक ...

-190-

==

(32) पेरा 21 अनिर्णीत ।

(33) पेरा 22 अनिर्णीत ।

(34) पेरा 23 निर्णीत ।(जरनल वाउचर सं० 20 वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत मु0 9100/-रु0 का समायोजन प्राप्त हो गया है । तथा इस राशि के समायोजन बिल को जाँच करने पर पाया कि सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा 50/-रु0 प्राधिकरण कोष में कम जमा कराये गए हैं जो अब पड़ताल के कहने पर रसीद संख्या:44338 दिनांक 20.5.93 के अन्तर्गत जमा कराये गए)

(35) पेरा 24 निर्णीत ।

(च) (ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 1989-90 :-

(1) पेरा 3 (ख) अनिर्णीत ।

(2) पेरा 4 (ख) निर्णीत (पड़ताल शुल्क चालान संख्या:76 दिनांक 14.9.92 के अन्तर्गत राजधानी कोष, शिमला-171002 में जमा कर दी गई है)

(3) पेरा 6 अनिर्णीत ।

(4) पेरा 7(क) से (ड) तक अनिर्णीत ।

(5) पेरा 8 (क) से (अं) तक अनिर्णीत ।

(6) पेरा 9 अनिर्णीत ।

(7) पेरा 10 अनिर्णीत ।

(8) पेरा 11 अनिर्णीत ।

(9) पेरा 12 (क से च तक) अनिर्णीत ।

(10) पेरा 13 (क) से (ड) तक अनिर्णीत ।

(11) पेरा 14 (क) आंशिक रूप से निर्णीत वसूलियां केवल निर्णीत वसूलियों को छोड़कर सबसे हो गई हैं

-191-

1. श्री विक्रम सिंह 12.00 रु0
2. श्री रत्न चन्द 28.00 "
3. श्री आर0रौजिफ, 64.40 "

(12)	पेरा 14 (ख)	अनिर्णीत ।
(13)	पेरा 15	निर्णीत ।(समस्त कर्मचारियों से उन द्वारा प्राप्त अधिक मकान भत्ता वसूल कर लिया गया है) ।
(14)	पेरा 16 (क)	अनिर्णीत ।
(15)	पेरा 16 (ख)	अनिर्णीत ।
(16)	पेरा 17 (क से ज तक)	अनिर्णीत ।
(17)	पेरा 18	अनिर्णीत ।
(18)	पेरा 19 (क से छ तक)	अनिर्णीत ।
(19)	पेरा 20	अनिर्णीत ।
(20)	पेरा 21	"""
(21)	पेरा 22	"""
(22)	पेरा 23 (क) से ड. तक)	अनिर्णीत ।
(23)	पेरा 24	अनिर्णीत ।
(24)	पेरा 25	"""
(25)	पेरा 26	"""
(26)	पेरा 27	"""
(27)	पेरा 28)	"""

"भाग - 2"

2. वर्तमान लेखा परीक्षा :-

वर्तमान लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण अवधि 4/90 से 3/91 तक, जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिये गए हैं, श्री श्याम लाल कपूर, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 26.8.92 से 7.6.93 तक किया । मास 6/90, 9/90, 12/90 तथा 3/91 के मासों के लेखों का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया ।

-192-

3. वित्तीय स्थिति :-

(क) शिमला विकास प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 तक के आय-व्यय का विवरण और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न है ।

4. लेखा परीक्षा शुल्क :-

लेखा परीक्षा शुल्क रुपये 14240/- बनते हैं । जिनका दिनांक वार ब्यौरा इस पड़ताल पत्र के साथ परिशिष्ट "ख" में दिया गया है । मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरण को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा उनके अधिग्रहण सूचना संख्या:284, दिनांक 7.6.93 द्वारा अनुरोध किया गया है कि पड़ताल शुल्क की राशि को लेखा शीर्ष "0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60- अन्य सेवाएँ, 110- सरकारी लेखा परीक्षा शुल्क, हिमाचल प्रदेश में, राजकीय कोष में जमा करवा कर मूल चालान इस विभाग को पुष्टि एवं वापिसी हेतु प्रेषित करें ।

5. तुलन पत्र पर टिप्पणियाँ :-

(1) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त ऋण :-

प्राधिकरण को हिमाचल प्रदेश सरकार से पड़ताल अवधि में बी०सी०एस० के नीचे भूमि अधिग्रहण हेतु 31,80,000.00 रुपये की राशि ऋण के रूप में 12 % ब्याज पर प्राप्त हुई तथा इसकी वापिसी दस वार्षिक किस्तों में की जानी है परन्तु तुलन पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब प्राधिकरण के पास 2,37,81,952.58 रुपये अधिशेष (सरपलस) में हैं तो प्राधिकरण को सरकार से ब्याज पर ऋण लेने का क्या औचित्य है । इस बारे आवश्यक स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

(2) वर्ष 1990-91 तक अधिशेष (सरपलस) :-

वर्ष 1990-91 के तुलन पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा 10,81,952.58 रुपये की राशि का अधिशेष (सरपलस) दायित्व के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं जिसमें गत वर्ष का शेष 5,70,886.19 रुपये था तथा इस वर्ष की आय-व्यय तालिका से 5,11,066.39 रुपये

-193-

लिए गए हैं । परन्तु अधिशेष के यह आँकड़े स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि तुलन पत्र के अवलोकन से यह पाया गया कि पृथक से एक नये शीर्ष दायित्व के अन्तर्गत व्यापारिक परिसर क्युम्पटी क्षेत्र को मुरम्मत तथा रख-रखाव के लिए 2,27,000.00 रुपये का प्रावधान किया गया है । (गत वर्षों में रखा गया प्रावधान 1,37,000/- + इस वर्ष की आय-व्यय तालिका के अनुसार 90,00,000/-रुपये = 2,27,00,000/-) जबकि यह अधिशेष है तथा प्राधिकरण द्वारा इस मद पर 31.3.91 तक कोई भी व्यय नहीं किया गया है कि जो यह स्पष्ट करता है कि प्राधिकरण द्वारा अधिशेष को कम प्रदर्शित करने के लिए इस फर्जी प्रावधान को रखा गया है अन्ततः यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण के पास 31.3.91 तक कुल अधिशेष की राशि 2,37,81,952.58 रुपये हैं । अतः इस फर्जी प्रावधान को सृजन करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

(3) ओवर ड्राफ्ट :-

वर्ष 1990-91 के तुलन पत्र में दायित्व के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा रु0 32,87,313.96 रुपये कि राशि ओवर ड्राफ्ट के रूप में पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त की है जिसके लिए प्राधिकरण ने अपनी निवेश की हुई निधि (एफडीआर"स) को गिरवी रख करके यह ओवर ड्राफ्ट प्राप्त किया है । यह ओवर ड्राफ्ट प्राधिकरण द्वारा निवेश की हुई राशि के ऊपर प्राप्त ब्याज के अतिरिक्त 2½/प्रतिशत अधिक ब्याज के ऊपर प्राप्त किया । तथा इस प्रकार 1990-91 की अवधि में बैंक को 3,89,836.90 रुपये ब्याज के रूप में अदा किए हैं । उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब प्राधिकरण के पास 2,37,81,952.58 रुपये अधिशेष में थे (जिसका प्रमाण प्राधिकरण द्वारा विभिन्न दस बैंकों में निवेश की हुई 5,06,40,175.55 रुपये की राशि है) तो पंजाब नेशनल बैंक से ओवर ड्राफ्ट करने का क्या औचित्य है । अतः इस प्रकार प्राधिकरण को अनावश्यक रूप से हानि पहुँचाई गई है । इसलिए ओवर ड्राफ्ट पर अदा किए गए ब्याज की राशि निकाली जाए तथा सम्बन्धित अधिकारी पर उत्तरदायित्व निश्चित किया जाए

(4) विविध लेनदार / देनदार :-

- 195 -

तुलन पत्र में प्रदर्शित लेनदार तथा देनदार रु0 64,87,466.21 रुपये के दिखाए गए हैं (विवरण परिशिष्ट "अ" में दिया गया है)। देनदारियों तथा लेनदारियों का निपटारा अतिशीघ्र किया जावे और अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

(5) भण्डारण वस्तुओं का अतिशेष :-

वर्ष 1990-91 के तुलन पत्र में सम्पत्तियों के अन्तर्गत भण्डारण वस्तुओं का अतिशेष 14,04,802,72 रुपये दिखाया गया है। निर्माण मण्डल एक तथा दो द्वारा संलग्न (परिशिष्ट "आ" में) प्रस्तुत विवरण के अनुसार 14,48,636/-रु0 के भण्डार वस्तुऐं (मण्डल संख्या:एक =8,02,831/-रुपये तथा मण्डल संख्या:दो = 6,45,805/-रुपये अतिशेष में दिखाई गई है। तुलन पत्र तथा प्रस्तुत विवरणों में अन्तर को स्पष्ट किया जावे जिससे तुलन पत्र में 43,833.28 रुपये मूल्य की भण्डारण वस्तुऐं कम दिखाई गई है। अतः इस अनियमितता का लेखांकन किया जावे और वास्तविक स्थिति को अगले वर्ष के तुलन पत्र में स्पष्ट/प्रदर्शित किया जावे।

(6) ब्याना (अरनेस्ट मनी) :-

तुलन पत्र में भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनता द्वारा तथा ठेकेदारों द्वारा ब्याना जमा करवाया दर्शाया गया दिनांक 31.3.91 को ब्याने की कुल राशि रु0 13,06,92,011.15 रुपये जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, प्राधिकरण के पास जमा है परन्तु यह अत्यन्त खेद की बात है कि बार-बार अंकेक्षण आपत्ति उठाये जाने पर भी प्राधिकरण द्वारा अरनेस्ट मनी जमा रजिस्टर फिर नहीं रखा गया है। इस अभिलेख को न रखने के कारण इस मद में जमा राशि व लोगों को वापिस की गई अरनेस्ट मनी का पड़ताल में कोई भी सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त अरनेस्ट मनी जमा की विस्तृत सूचि अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 259 दिनांक 7.4.93 के जारी करने के उपरान्त भी प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः यह सूची तुलन पत्र के साथ संलग्न नहीं की जा सकी। वांछित सूची तैयार

वाले नहीं की गई है । ...

..9..

-195-

करके आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाए ।

(क) अरनेस्ट मनी जो जनता द्वारा प्राधिकरण में जमा करवाई गई का विवरण :-

1.4.90 का गत शेष	11,75,77,416.40 रु०
वर्ष भर में प्राप्त राशि	2,02,10,131.50 "
कुल :-	13,77,87,547.90 "
वर्षभर में लौटाई गई राशि	95,82,682.75 "
दिनांक 31.3.91 को अन्त शेष	12,82,04,865.15 "

(ख)

1.4.90 के संविदाकारों द्वारा जमा अरनेस्ट मनी तथा प्रतिभूति का आदि शेष	19,36,408.00 "
वर्ष 1990-91 में प्राप्त राशि	5,50,738.00 "
	24,87,146.00 "
31.3.91 को कुल बकाया अरनेस्ट मनी ।	13,06,92,011.15 "

अतः अब शीघ्र अरनेस्ट मनी जमा रजिस्टर रखा जावे तथा इसे हर प्रकार से पूर्ण करके आगामी पड़ताल के समय दिखाया जावे ।

(7) पूँजी निवेश :-

31.3.1991 तक जिला विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में 5,06,40,175.55 रुपये सावधिक जमा के रूप में निवेश किए हैं । प्रत्येक बैंक में विभिन्न रसीदों के अनुसार निवेश को गई राशियों का विवरण तुलन पत्र में दर्शाया गया है । तथा इस बारे विस्तार से विवरण परिशिष्ट"व" में दिया गया है । परन्तु निवेश की गई राशियों का सत्यापन पड़ताल में निवेश की रसीदें उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका । क्योंकि जैसा कि प्राधिकरण द्वारा बताया गया, सुरक्षा की दृष्टि से निवेश की गई राशियों की रसीदें सम्बन्धित बैंकों में

को निर्धारित दर पर ब्याज सहित वसूली हेतु की
वाही नहीं की गई है । यहाँ तक अत्यन्त गम्भीर

196

ही रखी गई हैं । अतः इस व्यवस्था पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिर से विचार करें और यह प्रमाणित करें कि निवेश की गई राशियों की रसीदों को जाँच कर ली गई है और संलग्न विवरणिका में दर्शाई राशि के अनुसार सुरक्षित है । समस्त बैंकों से निवेश की गई राशियों का प्रमाणीकरण कराया जाए तथा प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाए ।

इस सम्बन्ध में गत पड़ताल पत्र के पैरा संख्या: 3(ख) पर भी इसी प्रकार की आपत्ति उठाई गई थी । परन्तु प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं दिखाई गई है । अतः अब शीघ्र इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

(8) अनुदान :-

वर्ष 1990-91 में प्राधिकरण को कोई भी अनुदान सहायता किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं हुई ।

(9) ऋण :-

वर्ष 1990-91 की अवधि में प्राधिकरण को हिमाचल प्रदेश सरकार से बी०सी०एस० के नीचे भूमि अधिग्रहण के लिए 31,80,000/-रुपये की राशि ऋण के रूप में स्वीकृति पत्र संख्या: पी०बी०डब्ल्यू (बी०एण्ड०आर०)(बी)(38)/90 दिनांक 25.3.91 के अन्तर्गत 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर प्राप्त हुआ है । तथा इस ऋण की वापिसी प्राधिकरण द्वारा सरकार को 10 वार्षिक किस्तों में की जानी है । अतः प्राधिकरण इस ऋण की वापिसी स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित करें ।

प्राधिकरण को भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से और हुडको से सीधा ऋण प्राप्त हुआ है । दिनांक 31.3.91 को प्राधिकरण द्वारा जो ऋण देय है, और जो अदायगी पड़ताल काल में मूल तथा ब्याज के रूप में की गई उसका विवरण परिशिष्ठ (ड) पर संलग्नित है । अतः प्राधिकरण समयानुकूल मूल तथा ब्याज की वापिसी को सुनिश्चित करें ।

(10) गतिशीलता अग्रिम (मोबिलाईजेन एडवांस) :-

... राशि ब्याज के अलावा वसूली योग्य है अतः इस बकाया राशि को निर्धारित दर पर ब्याज सहित वसूली हेतु कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है । यहाँ तक अत्यन्त गम्भीर व लापरवाही

197

शिमला विकास प्राधिकरण के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संविदाकारों को नियमों का उलंघन करते हुए दिनांक 31.3.1991 तक 1,42,52,551/-रुपये गतिशीलता अग्रिम के रूप में अदा किए गए । नियमों में विशेष प्रकार के साज सामान तथा भारी सयन्त्रों के क्रय हेतु इस प्रकार के अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है परन्तु शिमला विकास प्राधिकरण के संविदाकारों द्वारा न ही इतने अधिक मूल्य के सयन्त्र खरीदे जाने अपेक्षित थे और न ही उन द्वारा इनका किसी स्तर पर इन निर्माण कार्यों के लिए क्रय किया गया है । इस गतिशीलता अग्रिम को अदायगी कुछ संविदाकारों को ब्याज रहित शर्त पर/ (बी०के०कन्ट्रैक्ट शिमला व अग्रवाल एण्ड कम्पनी जालन्धर को 10 प्रतिशत ब्याज की दर से दिये गए हैं । ये गतिशीलता अग्रिम इस प्रकार ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिये जाने के प्रयोजन से दिए गए हैं । 1.4.90 से 31.3.91 तक गतिशील अग्रिमों के लेन-देन का विवरण निम्न प्रकार से है :-

/ व कुछ अन्यों

1.4.90 को बकाया गतिशील अग्रिम	
निर्माण मण्डल-एक	= 19,17,819.00 रु0
निर्माण मण्डल-दो	= 57,71,000.00 "
	73,88,819.00 "
1.4.90 से 31.3.91 तक दिया गया गतिशील अग्रिम :-	
निर्माण मण्डल एक द्वारा	= 27,98,234.00 "
निर्माण मण्डल दो द्वारा	= ...
इसलिए :-~~कुल=योग=:~~	= 73,88,819.00 "
और	27,98,234.00 "
कुल योग :-	1,01,87,053.00 रुपये
1.4.90 से 31.3.91 तक वसूली गया गतिशील अग्रिम :-	
निर्माण मण्डल-एक = 23,93,470.00 } निर्माण मण्डल-दो = 11,79,271.00 }	35,72,687.00 "
31.3.1991 को वसूली योग्य गतिशील अग्रिम :-	
निर्माण मण्डल सं0-एक= 23,22,583.00 } निर्माण मण्डल सं0:-दो 4291,783.00 }	66,14,366.00 "

जाता नहीं की गई है । यहाँ तक अत्यन्त गम्भीर व लापरवाही

198

31.3.91 को वसूली योग्य तथा अदा किए गए गतिशी ल अग्रिम का विवरण पश्चात पत्र के साथ परिशिष्ट "ग" तथा "घ" पर संलग्न है ।

विकास प्राधिकरण स्वयं निवेश की गई राशियों के ऊपर प्राप्त ब्याज के अतिरिक्त 2½ % की दर से और ब्याज देकर बैंकों से ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करके गतिशील अग्रिम दिये गए हैं । प्राधिकरण के अभिलेखों के अनुसार निम्न राशि संविदाकारों को गतिशील अग्रिम स्वरूप दी गई है तथा भिन्न वर्षों के अन्त में इन अग्रिमों के असमायोजित शेष भी नीचे दर्शाए गए हैं तथा प्रतिवर्ष बैंक से प्राप्त अनावश्यक ओवर ड्राफ्ट पर जो ब्याज, प्राधिकरण द्वारा दिया गया है वह भी सारणी रूप में नीचे दर्शाया गया है । इस प्रकार संविदाकारों को करोड़ों रुपयों का अनुचित लाभ देकर आवास आवंटियों को अनुचित आर्थिक भार डालकर जो अनियमितता की गई है इस बारे ~~निष्पक्ष~~ उच्च स्तरीय जाँच की जाए तथा दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनुचित प्रक्रियाओं पर पूर्ण रोक लगाई जाए ।

गतिशील अग्रिम		ओवर ड्राफ्ट		ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज :	
अदायगी का वर्ष	राशि	वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
1989-90	1,14,54,317/-	1989-90	95,00,900/-	1989-90	159156.15
1990-91	27,98,234/-	1990-91	72,87,313/-	1990-91	389336.96
	1,42,52,551/-				

§11§ **प्राधिकरण द्वारा आवास आवंटन व आवंटियों से किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में :-**

आवंटियों को आवास ~~आवंटन~~ आवंटित किए जाने के उपरान्त संलग्न विवरण परिशिष्ट "च" के अनुसार उन द्वारा प्राधिकरण को अदा की जाने वाली किश्तें निर्धारित समय अनुसार नहीं दी जा रही हैं । कई आवंटियों द्वारा किश्तों का भुगतान वर्ष 1989 से आगे नहीं किया गया है । जिससे उन द्वारा 11,74,886/-रुपये

< 199 -

की राशि ब्याज के अलावा वसूली योग्य है अतः इस बकाया राशि को निर्धारित दर पर ब्याज सहित वसूली हेतु कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ तक अत्यन्त गम्भीर व लापरवाही का विषय है कि प्राधिकरण द्वारा चूक कर्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। जिससे प्राधिकरण को अनावश्यक रूप से भारी वित्तीय हानि हो रही है जो कि प्राधिकरण व सरकार के सम्बन्ध में लाई जाती है है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जावे तथा इस सम्बन्ध में की गई प्रगति से इस विभाग को अवगत कराया जावे।

§12§ निर्माण कार्य : निर्माण मण्डल संख्या:एक :-

§क§ कसुम्पटी खण्ड केन्द्र शिमला में पानी की आपूर्ति हेतु स्टेज संख्या:3 में आर० सी० सी० टैंक का निर्माण।

अनुबन्ध संख्या:10 वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत मैसर्ज एम०एल० गुप्ता एण्ड एसोसिएट शिमला द्वारा श्री वी० डी० कँवर, कनिष्ठ अभियन्ता की निगरानी में उपरोक्त कार्य निर्मित करवाया गया। इस कार्य के निर्माण बारे रु० 71,436/-रुपये वाउचर सं०: 13 दिनांक 7.9.90 द्वारा प्रथम बिल के रूप में अदा किए गए। इस बिल की जाँच करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा 45,998.08 रुपये की अदायगी संविदाकार को अधिक की गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

माप पुस्तिका सं० तथा पृ० संख्या:	मद का विवरण	माप पुस्तिका के अनुसार माप का विवरण।	दर	अदायगी रुपये	वास्तविक माप जो होना चाहिए था।
3/7 §सी§	सस्पैंडिड 5 फ्लोर एक हैंडिड शैल्फ उन को स्पोर्ट बाल्कनी, बीम कान्टीलिवर इत्यादि	49,229 घ०मी०	1060/- प्रति	~~52182/- 074 पैसे~~ 52182.74	17.80 घ०मी०

दर	अदायगी राशि		अधिक अदा की गई राशि।
1060/- प्रति घ०मी०	18869.06	5% कटौती §रिबेट§	33,313.68 1,665.69 31648.08

... ।

य नहीं ।

200

शुद्ध अधिक अदा की गई राशि :- पू० पू० से०:-31,648.03 रु०

§ख§ उपरोक्त अधिक अदा की गई अदायगी के अतिरिक्त इस कार्य की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाए गए सीमेंट में भी 275 बोरी अधिक खपत दिखा करके संविदाकार से मु० 14,350/-रुपये कम वसूल किए गए जिसका विवरण निम्न से है :-

सीमेंट खपत विवरणिका जो बिल के साथ लगाई गई है के अनुसार पी०/एल० सीमेंट कंक्रीट अनुपात 1:2:4 के प्रयोग में निम्नलिखित नाप में लाई हैं 6.182 + 16.736 + 49.229 + 12.85 = 84.99 घनमीटर दर 0.32 टन प्रति घ०मी० की दर से

27.196 टन

अपव्यय 2 प्रतिशत 0.543 टन

27. 739टन या 555 बैग ।

जबकि उपरोक्त तालिका में दिये गए नाप का कुल 53.57 घ०मी० ही निकलता है जिससे इस कार्य पर केवल 350 बैग सीमेंट का प्रयोग ही होना था जिसका विवरण नीचे दिया गया है इस प्रकार संविदाकार को 205 बोरी सीमेंट अधिक जारी किया गए तथा इस प्रकार उपरोक्त संशोधित गणनाओं के आधार पर 205 बैग सीमेंट का कम प्रयोग किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

पी/एल० सीसी 1:2:4 के अनुपात से निम्न नाप में,प्रयोग किया गए

6.182 + 16.736 + 17.801 + 12.852	53.57 घ०मी०
0.32 टन प्रति घ०मी० की दर से	16.142 टन
20 § अप व्यय :-	.342 टन
	17.484 या

350 बैग ।

अधिक दिखाया गया सीमेंट व्यय 205 बोरी का दण्ड स्वरूप कानूनी वसूली राशि §दण्ड दर 70/-रु० प्रति बैग§ 70x2x205 =28.700.

कम :- संविदाकार के प्रथम चालू बिल से की गई कटौती । §-§ ~~14.350.~~ 14:350

संविदाकार से बाकाया वसूली = या 14.350 रुपये

प नहीं ।

- 201 -

मद संख्या:क तथा ख में कुल वसूलने योग्य राशि

[31,648.08 + 14,350.00] = 45,998.08 रुपये

[13] 8.935 मीट्रिक टन टौर स्टील 10 एमएम का गबन :-

AIR

माल प्राप्त विवरणिका [जी0आर0एस0] संख्या:532, दिनांक 10.9.90 के अन्तर्गत स्टील आथोरिटी ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़ के माध्यम से प्राधिकरण को 195.10 क्वींटल टौर स्टील, हिमाचल ट्रांस्पोर्ट कम्पनी, चण्डीगढ़ के ट्रक संख्या:एच0पी0-07/316 जी0 आर 0 संख्या:15610 के अन्तर्गत 105.75 कि0 स्टील जिसका किराया 1545/-रुपये अदा किया गया तथा 89.35 कि0 स्टील ट्रक संख्या:एच0पी0एस0/6371 जी0आर0 संख्या:15802 के अन्तर्गत 1450/-रु0 किराया अदा किया करके ढुलवाया गया दिखाया गया है जबकि इस माल के प्राप्त विवरणिका के अनुसार प्राप्त स्टील का इन्द्राज बिन कार्ड में होना चाहिए था । जबकि बिन कार्ड संख्या: 35 में केवल 105.75 क्वींटल स्टोर जो ट्रक संख्या:एच0पी0-07/316 के माध्यम से ढुलवाया गया था का ही इन्द्राज किया गया है तथा ट्रक संख्या:एच0पी0एस0/6371 द्वारा जो 89.55 क्वींटल 10 एमएम डाया स्टील लाया गया था का कोई भी स्टाक इन्द्राज [Inentry] बिन कार्ड में नहीं किया गया था । इस प्रकार पूरे ट्रक को स्टोर=[ ]= मैं पहुँचने से पूर्व ही गायब कर दिया गया जिससे प्राधिकरण को पूरे ट्रक स्टील की हानि पहुँचाई गई । इस समस्त प्रक्रिया के समय के0 एम0 खन्ना, कनिष्ठ अभियन्ता स्टोर प्रभारी थे तथा स्टोर के सहायक अभियन्ता श्री जी0 डी0 शर्मा थे जिनके क्रमशः हस्ताक्षर / प्रतिहस्ताक्षर माल प्राप्त विवरणिका में उपलब्ध हैं । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तथा इससे सम्बन्धित नियमों के अनुसार इस गबन किए गए स्टील की वसूली ताजा बाजार भाव पर शीघ्र करके आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

AIR

[आ] दिनांक 30.4.92 व 15.6.92 को तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री के0 एम0 खन्ना ने भण्डारण वस्तुओं का कार्यभार अन्य कनिष्ठ अभियन्ता श्री बी0 सी0 डाँगरा को सौंपा तो उस समय निम्न बिन कार्डों के अनुसार टौर स्टील के अन्तिम शेष की मात्रा

-202-

प्रत्यक्ष रूप में कम सौंपी गई क्योंकि यह मात्रा वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में भण्डारण में उपलब्ध नहीं थी। नए कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इन मात्राओं को कम दर्शाकर बिन कार्डों में गणना में लिया। इस प्रकार 6.256 मै0 टन की मात्रा कम सौंपी गई व 72569.60 रुपये के मूल्य के स्टील का दुर्विनियोजन किया गया :-

क्रम सं0	स्टील का ब्यास	बिन कार्ड सं0	बिन कार्ड में क्रमाप्त स्टील जो श्री के0एन0 खन्ना जे0इ0 द्वारा चार्ज में दिया जाना चाहिए था।	बिन कार्ड सं0 जिसमें श्री बी0सी0 रांगरा जे0इ0 द्वारा इन्द्राज किया गया।	वास्तव में सौंपे गए स्टील की मात्रा।	जो मात्रा कम सौंपी गई।
1.	8 एमएम टौर स्टील	43	11.111 एमटी	34	10.300 एमटी	.311 एमटी
2.	10 एमएम	45	73.094 ""	35	68.00 ""	5.094 ""
3.	12 एमएम	37	38.990 ""	36	38.990 ""	शून्य
4.	16 एमएम	39	0.293 ""	37	0.293 ""	शून्य
5.	20 एमएम	8	0.143 ""	38	0.143 ""	शून्य
6.	25 एमएम	47	3.351 ""	39	3.00 ""	.351 एमटी
					कुल :-	6.256 एमटी

इस प्रकार 6.256 एमटी स्टील (जिसका मूल्य बाजार भाव रु0 11,600/- रुपये प्रति टन की दर से 72,569.60 रुपये बनते हैं) की राशि भी श्री के0 एन0 खन्ना तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता भण्डारण से वसूल की जाए।

(14) बिल सं0:13 दिनांक 6.12.90 रु0 1,29,713.00 रुपये

कार्य का नाम : 56 नम्बर ई.डब्ल्यु.एस. फ्लैटस का निर्माण (2-खण्ड साईट डिवेलपमेंट व जल आपूर्ति फिटिंग्ज सहित।

संविदाकार का नाम: श्री कुन्दन लाल, हरि राम संविदाकारक

प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता का नाम: श्री पी0 के0 खन्ना

बिल संख्या: 6वां चालू बिल।

न नहीं।

203

उक्त कार्य के निर्माण हेतु इस बिल के साथ संलगित की गई सीमेंट प्रयोग विवरणिका के अनुसार केवल 1590 बैग भिन्न-भिन्न इन्डेंटो के अन्तर्गत जारी किए दिखाए हैं तथा इसका मूल्य जारी दर 72/-80 प्रति बैग की दर से संविदाकार से वसूल किए गए हैं परन्तु इस विवरणिका में वर्णित इन्डेंट संख्या:पोकेके/311 दिनांक 5.11.90 के अन्तर्गत 100 बैग सीमेंट स्टोर से प्राप्त किए दिखाए गए है जबकि बिन कार्ड व माँग पत्र तथा चालान के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि इस इन्डेंट के अन्तर्गत 180 बैग सीमेंट इस कार्य की पूर्ति हेतु जारी किए गए हैं। एम०ए०एस० पुस्तिका के अनुसार 100 बैग सीमेंट ही प्राप्त किए ~~दिखाए हैं~~ गए बताए हैं और इसी के अनुसार कार्य पर भिन्न-भिन्न किर्मों को प्रयोग किए दिखाए हैं गए हैं। इस प्रकार 100 बैग सीमेंट के स्थान पर 180 बैग दिखाकरके 80 बैग सीमेंट का गबन किया गया है। ~~इससे~~ उससे सम्बन्धित नियमों के अनुसार अगर यह वसूली संविदाकार से की जाती है तो यह राशि द्विगुणित जारी राशि 11,520/-रुपये बनती है। इस राशि को तुरन्त वसूल किया जाये।

80x118.5 = 9480

§15§ बिन कार्ड संख्या:38 के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 14.9.90 को 2198 बैग सीमेंट शेष था। तदोपरान्त इंडेंट संख्या:बोकेके-10 सी०बी० दिनांक 14.9.90 को 200 बैग सीमेंट मै० गौरव बिल्डर्स को कयुम्पटी खण्ड में पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु जारी किया गया था। इस प्रकार 200 बैग को 2198 बैग में से कम करके 1998 बैग सीमेंट शेष रहने चाहिए थे जबकि उक्त बिन कार्ड पर बकाया केवल 1818 बैग ही दिखाया गया है इस प्रकार 180 बैग सीमेंट का गबन किया गया है। इस कार्य के समय स्टोर प्रभारी श्री के० एम० खन्ना, कनिष्ठ अभियन्ता थे। अतः 180 बैग सीमेंट का मूल्य बाजार भाव पर 118.50 रुपये प्रति बैग की दर से 21,330/-रुपये दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल किए जाएँ।

AIR

MN

9480
21330
30810

260x72 = 18720

§16§ वाउचर सं० 24, दिनांक 19.9.90 रु० 4,39,258/-

AIR

२०५-

कार्य का नाम : व्यावसायिक परिसर के निर्माण कार्य के०जेड०ई उपशीर्ष ब्लाक नम्बर:एफ०जी०एच०आई०जे०ऐम० तथा एन का निर्माण जिसमें डब्ल्यु.एस. एण्ड एस.आई. भी सम्मिलित हैं ।

बिल की क्रम संख्या: तीसरा चालू बिल ।

संविद कार का नाम: श्री अशोक मदान ।

प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता का नाम: श्री बी० एस० वर्मा ।

इण्डेंट संख्या:35/990 दिनांक 18.8.90 जिसका इन्द्राज बिन कार्ड सं०:4 दिनांक 9.10.90 को किया गया है, के अन्तर्गत 16 एमएम डाया टौर स्टील 2 एम०टी० संविदाकार श्री अशोक मदान को उक्त निर्माण कार्य के निर्माण हेतु जारी किया बताया गया है इसके अतिरिक्त इस स्टील का इन्द्राज बिन कार्ड में भी दिखाया गया है ।परन्तु नाप पुस्तक संख्या:251 पृ० सं० 24 पर इन्द्राज केवल 1 टन का ही किया गया है । यह कार्य संविदाकार से प्राधिकरण द्वारा लेबर रेट पर 1.50 प्रति किलो के हिसाब से करवाया गया है । इण्डेंट संख्या:~~254~~ 35/990 के अनुसार संविदाकार द्वारा स्टोर से टौर स्टील 16 एमएम व 18 एमएम क्रमश: 2 एमटी तथा 2.145 एम०टी० प्राप्त किया गया है जिसके एवज में संविदाकार द्वारा इंडेंट में प्राप्ति हस्ताक्षर किए गए हैं । 16 एमएम स्टील ~~xxxx~~ 2 एमटी की प्राप्ति के स्थान पर संविदाकार द्वारा नाप पुस्तक के अनुसार केवल 1 टन का ही प्रयोग किया बताया गया है । परिणाम-स्वरूप एक टन 16 एमएम डाया स्टील का गबन किया गया है । अत: एक मीट्रिक टन स्टील की वसूली नियुक्ति जारी दर पर रु, 16,400/- रूपये (जारी दर 8200/-रु० प्रति एम०टी०) वसूल किए जायें ।

PJR

(17) वाउचर सं० 10 दिनांक 6.6.90 राशि 2,98,234.00

कार्य : सिकन्दरा योजना क्षेत्र के कबुम्पटी उपक्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था की उपलब्धि (उपशीर्ष) प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग ट्रस्ट / एन्कर ब्लाक ।

अनुबन्ध सं०: 5 वर्ष 1990-91

कार्य आरम्भ करने की तिथि : 15.06.90

कार्य पूर्ण करने की तिथि : 14.12.90

205

टेन्डर्ड राशि : 29,82,337.00 रुपये ।

संविदाकार का नाम : मैसर्स बी० के० कन्ट्रक्टर्स ।

उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार मैसर्स बी० के० कन्ट्रक्टर्स को रु0 2,98,234.00 रुपये गतिशीलता अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवांस) कार्य आरम्भ करने से पूर्व दिनांक 6.6.90 को नये ट्रक को क्रय करने हेतु दिया गया परन्तु लेखा परीक्षा में इस राशि को व्यय करने से सम्बन्धित कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह जाँच हो सकती थी कि सम्बन्धित संविदाकार द्वारा इस राशि का प्रयोग उसी मद पर किया गया है जिस हेतु यह गतिशीलता, अग्रिम दिया गया था क्योंकि अवार्ड पत्र संख्या:एस0डी0ए0-अकाउंट-7/90-1056/63 दिनांक 31.5.90 में वर्णित शर्त संख्या:4 द्वारा संविदाकार को यह प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य था । अतः इन परिस्थितियों में इस राशि का दुरूपयोग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त जैसे पूर्व पैरे में स्पष्ट किया गया है, इस ~~प्रकार के~~ प्रकार से इस प्रयोजनार्थ अग्रिम देने का कोई भी प्रावधान नहीं है तथा यह राशि अनुचित लाभ के रूप में दी गई है जिस बारे जिम्मेदारी निर्धारित की जाये ।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत संविदाकार को इतना अनुचित लाभ देने के पश्चात भी उसने कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई । क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य संविदाकार द्वारा 14.12.1990 तक सम्पन्न करना चाहिए था परन्तु लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि पड़ताल अवधि 31.3.1991 तक भी यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था । अनुबन्ध की शर्त संख्या:2 के अनुसार यह प्रावधान है कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण न करने की स्थिति में संविदाकार को कुल टेण्डर्ड राशि पर कम से कम एक प्रतिशत के दर से मुआवजा देना होगा । परन्तु उपरोक्त तथ्य के विपरीत न तो संविदाकार द्वारा कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किया गया और न ही सक्षम अधिकारी से कार्य अवधि बढाने की कोई स्वीकृति भी ली गई । संविदाकार द्वारा विहित शर्तों का उल्लंघन करने पर सक्षम अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की न ही शर्त अनुसार मुआवजा वसूल किया गया । आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए व मुआवजे की

...

वसूली ।

वसूली करके इस विभाग को भी सूचित किया जाये ।

§18§ व

वाउचर सं0 11 दिनांक 6.6.90 राशि		8,502.00
वाउचर सं0 12 दिनांक 6.6.90 राशि		10,061.00

वाउचर संख्या:11 दिनांक 6.6.90 के अन्तर्गत मैसर्ज आँटो सैन्टर चण्डीगढ़ को 8502/-रूपये तथा वाउचर संख्या:12 दिनांक 6.6.90 के अन्तर्गत मैसर्ज जनेवा आँटो रिपेयर शॉप, चण्डीगढ़ को म0 10,061/-रूपये की अदायगी बाबत मुरम्मत अम्बैसडर कार नं0 एच0पी0एस0-948 को गई । परन्तु इस कार्य को करवाने से पूर्व न तो सम्बन्धित वाहन चालक द्वारा कोई खराबी की शिकायत निर्माण मण्डल संख्या/1 में को गई और न ही कार्य को करवाने से पूर्व मुरम्मत / व्यय बारे कोई प्राक्कलन §एस्टीमेट§ ही बनवाया गया । कार्य को करवाने से पहले सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी नहीं ली गई तथा यह मुरम्मत कार्य आवश्यक निविदाएँ मँगवाये बिना ही करवाया और इस प्रकार बाजार की प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं उठाया गया । मुरम्मत बारे वाहन के रख-रखाव रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई व मुरम्मत कार्य संतोषजनक करवाये जाने को सक्षम अधिकारी व चालक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया तथा बदले गए बेकार हिस्सों व पुर्जों को भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दिखाई गई । बिना निविदाएँ से मुरम्मत पर किए व्यय को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया जाये । मुरम्मत बारे प्रविष्टि व बेकार पुर्जों की प्रविष्टि क्रमशः रख-रखाव रजिस्टर व भण्डार रजिस्टर में की जाये तथा मुरम्मत संतोषजनक करवाये जाने बारे सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाया जाये व अनुपालना अंकेक्षण समय दिखाई जाए ।

§18§(2) हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या: फिन-सी§ए§ए0§3§-25/85-IV दिनांक 31.7.1992 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विभागीय वाहनों की मुरम्मत पर होने वाले व्यय पर सीमा निर्धारित की है जिसके अनुसार प्रत्येक वाहन पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 1000/-रु0 तक तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 2000/-रु0 तक प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मुरम्मत करवा सकते हैं तथा इससे अधिक होने वाले व्यय को बिना प्रशासनिक विभाग / वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करके करनी होगी तथा वाहनों पर

 207

पूरे समय तक किसी भी परिस्थितियों में कुल मुरम्मत पर किया गया व्यय वाहन के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए अगर ऐसे वाहनों की मुरम्मत इन परिस्थितियों में करवानी अनिवार्य है तो वित्त विभाग को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुरम्मत करवाई जा सकती है । परन्तु प्राधिकरण में ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं रखा गया है जिससे कि उपरोक्त वर्णित आदेशों के का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके । अतः प्रत्येक वाहन जो कि प्राधिकरण के पास है के सम्बन्ध में वाँछित सूचना तैयार की जावे और आगामी पड़ताल के समय जाँच हेतु प्रस्तुत की जावे ।

§19§ बिल सं0 22 दिनांक 11.6.92 मु0 2,57,539.40 रू0

कार्य का नाम : कुम्पटी जोनल सैन्टर में व्यावसायिक परिसर का निर्माण §उपशीर्ष§ ई§1§ व §ई-2§ का निर्माण तथा इसमें पानी व बिजली इन्सटालेशन

संविदाकार का नाम: मैसर्ज एम0एल गुप्ता ‡ एसोसिएट ।

प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता: श्री बी0 एस0 वर्मा

बिल संख्या: चौथा चलत बिल ।

उक्त कार्य के निर्माण हेतु बिल के साथ संलग्नित सीमेंट प्रयोग विवरणिका तथा माप पुस्तिका संख्या:250 पृष्ठ-39 के अनुसार संविदाकार को प्राधिकरण के भण्डार से 1670 बैग सीमेंट भिन्न-भिन्न इण्डैटों अनुसार जारी किए गए परन्तु लेखा परीक्षा में इण्डैटों की जाँच करने पर पाया गया कि वास्तव में संविदाकार को 1690 बैग सीमेंट स्टोर से जारी किए गए । परिणाम-स्वरूप संविदाकार के बिलों से 20 बैग सीमेंट कम दिए दिखाए हैं तथा इनका मूल्य भी वसूल नहीं किया गया है । इन 20 बैग सीमेंट का अन्तर इण्डैट संख्या:बी.एस.पी./सी/सी/10/90 दिनांक 8.5.90 जिसका इन्द्राज बिन कार्ड सं0 33 में किया गया है स्पष्ट हो जाता है जिसके अन्तर्गत संविदाकार को 200 बैग सीमेंट जारी किए गए हैं परन्तु माप पुस्तिका संख्या: 250 पृष्ठ-39 के अनुसार केवल 180 बैग की प्राप्ति ही दिखाई गई है । इस प्रकार 20 बैग सीमेंट का दुर्विनियोजन किया गया है जिसका मूल्य जारी दर मु0 72/-रूपये प्रति बैग था । अतः इसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से दुगुनी जारी दर से मु0 2880/-रूपये वसूल किए जावें तथा अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

208

तथा चूक कर्ता कर्मचारी के विरुद्ध इस अनियमितता के लिए उचित कार्यवाही की जाए ।

§20§ बिन कार्ड व स्टोर रजिस्टर की जाँच :-

प्राधिकरण के निर्माण। मण्डल एक के भण्डारण अभिलेख/बिनकार्डों के अवलोकन/जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में उनके सामने वर्णित इंडैंटों द्वारा भिन्न-भिन्न व्यास का टौर स्टील जारी किया गया था परन्तु बिन कार्ड में गत शेष में से जारी किए गए स्टील की बकाया मात्रा ठीक से नहीं निकाली गई । जिससे आदी शेष कम बताये गए जिनमें से कुछ एक प्रमाण विस्तार से नीचे दिये गये हैं । कम दिखाए गए टौर स्टील को भण्डार प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दुर्विनियोजन किया प्रतीत होता है । अतः यह गम्भीर अनियमितता का मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में उपयुक्त कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा इस कम दर्शाए गए स्टील का मूल्य 25,705/-रुपये बाजार भाव पर दोषी स्टोर प्रभारी अभियन्ता से वसूल करके जमा किया जावे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

कृपया अगला पृष्ठ देखें ।

2071

क्रम सं0	स्टील का ब्यौरा	बिन कार्ड सं0 दिनांक	बिन कार्ड में गत शेष ।	जितनी मात्रा जो जारी की गई या प्राप्त हुआ ।	इन्डेंट सं0 व दिनांक	बिन कार्ड में जितना शेष रहना चाहिए था ।	बिन कार्ड में जो शेष बताया गया	अन्तर	दर	कीमत कुल राशि काबिले वसूली ।
1.	16 एमएम	एस.डी.ए.4 दिनांक 19.6.90	9.856 एमटी	2.039 एमटी	पीकेओएल. एस.सी.43 दिनांक 20.6.90	7.817 एमटी	7.617 एमटी	200 एमटी	11,600 प्रति एमटी	2320
	यह स्टील मैसर्ज कुन्दन लाल हरी राम ठेकेदार को 56 नम्बर फ्लैट के निर्माण हेतु जारी किया गया ।									
2.	8 एमएम	5 दिनांक 1.5.90	18.461 एमटी	10.389	एसडीए.-1611 16-11	8.072 एमटी	6.156 एमटी	1.916 एमटी	""	22225.60
	निर्माण मण्डल संख्या:2 को दिया गया ।									
3.	8 एमएम	34 दिनांक 25.8.90	3.843 एमटी	0.825	जीआर नं0:531 के अन्तर्गत 30.8.90 को निर्माण मण्डल सं0 2 से प्राप्त किया गया	4.668 एमटी	4.563 एमटी	.100 एमटी	""	1160.00
									कुल :-	25,705.60

कृपया पृष्ठ नं0 24 में देखे ।

कार्य का नाम : [illegible]

210

§21§ वाउचर सं0:14 दिनांक 6.6.90 राशि 15301.75 रुपये:

कार्य का नाम : क्युम्पटी जोनल में पानी की आपूर्ति ।

संविदाकार का नाम : मैसर्स जेटली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ।

प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री किशन सिंह स्टोव ।

बिल संख्या: 11 वाँ चलत बिल ।

उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु इस बिल के साथ संलग्न सीमेंट प्रयोग विवरणिका के अनुसार 4030 बैग सीमेंट भिन्न-भिन्न इंडेंटों के अन्तर्गत इस निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए बताए हैं जिसका मूल्य जारी दर 72/-रु0 प्रति बैग की दर से वसूल किया गया है परन्तु इस विवरणिका में वर्णित इन्डेंट संख्या: 121/दिनांक 4.10.89 के अन्तर्गत 270 बैग सीमेंट स्टोर से प्राप्त हुए दिखाए हैं । वास्तव में इस इन्डेंट का बिन कार्ड में किए गए इन्द्राज के अन्तर्गत 400 बैग सीमेंट इस कार्य की पूर्ति हेतु जारी किए गए दिखाए हैं । इस प्रकार 400 बैग सीमेंट की प्राप्ति के स्थान पर 270 बैग सीमेंट दिखाकर 130 बैग सीमेंट का गबन किया गया है । अतः इस कम वसूल किए गए सीमेंट का मूल्य जारी दर से दुगुने दर से जो कि 18,720/-रुपये बनते हैं की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जाए तथा दोषी अभियन्ता के विरुद्ध अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए उचित कार्यवाही की जाए । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

§22§ वाउचर सं0 13 दिनांक 6.3.91 राशि 2,81,0,36.30रु0

कार्य का नाम : जल आपूर्ति स्कीम, शिमला की आगुमेन्टेशन §कर्म कमर्शियल काम्पलेक्स से बी0बी0एस0 काम्पलेक्स तक पानी का आवंटन ।

बिल संख्या : 10 वाँ चलत बिल ।

संविदाकार का नाम : मै0 कुन्दन लाल हरी राम ।

इस बिल की मद संख्या: 1/3 के अन्तर्गत नाली की बिछाई के लिए मिट्टी की खुदाई के अन्तर्गत 797.72 घ0 मी0 के लिए 38/-रु0 प्रति घ0मी0 की दर से 30,313.36 रुपये की राशि

211

अदा की गई जबकि वास्तव में किए कार्य का माप, माप पुस्तिका सं० 275 पृष्ठ-81 के अनुसार 794.60 रूपये घ०मी० मिट्टी खोदने का का कार्य हुआ है तथा जिसकी अदायगी योग्य राशि 30,194.80 रु० बनते हैं। परिणाम-स्वरूप संविदाकार को 118.55 रूपये 25 प्रतिशत रिबेट 2.95 रूपये काट करके 115.60 रूपये अधिक अदा किए हैं। जो अब या तो सम्बन्धित संविदाकार से या फिर दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल करके प्राधिकरण कोष में शीघ्र जमा कराये जावे तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जावे।

(23) वाउचर सं० 21 दिनांक 8.3.91, राशि 4,59,835/-रु०

कार्य का नाम :	व्यावसायिक परिसर, कम्युनिटी जोन (उप-जोन) ब्लॉक एफ, जी,एच.आइ,जे.एन और एन निर्माण जिसमें जल आपूर्ति का कार्य भी सम्मिलित है।
बिल संख्या:	चौथा चालू बिल।
माप पुस्तक संख्या:	एस०डी०ए० 251 पृ० सं०: 50 से 61 तक।
संविदाकार का नाम :	श्री अशोक मदान।
अनुबन्ध संख्या:	एस०डी०ए०-21, 1989-90.

(क) इस चालू बिल की मद संख्या:4/4(बी),5/9-बी(7/12, 17/43 तथा 27/53 में वर्णित माप गणना के कारण अधिक दिखाए गए है। जबकि माप पुस्तिका संख्या:251 में दर्ज माप की गणना से यह कम निकलता है जिस कारण संविदाकार को 729.41 रूपये की अदायगी निम्न विवरणानुसार अधिक हुई है। जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार के आगामी बिलों में से की जावे तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जावे।

लगातार. पृष्ठ सं० :26 में

मद सं0:	मद का विवरण।	माप पुस्तिका में दर्ज माप	दर	अदा की गई गई राशि रु0	वास्तविक माप जो होना चाहिए था।	राशि जो अदा होनी चाहिए थी।	अधिक अदा की गई राशि
4/4 (बी/डी)	कालम पिलर पोस्ट इत्यादि का निर्माण में शटरिंग का कार्य	1260.787 घ0मी0	50/- प्रति घ0मी0	63,039.35	1260.677 घ0मी0	63033.85 रु0	5.50 रु0
11(1)	साईड और सोफिट्स ऑफ विन्ग्स इत्यादि।	1478.79 घ0मी0	60/- प्रति घ0मी0	58,739.40	1478.64 घ0मी0	78718.40	21.00 "
5/9(बी)	roviding and laying Mechanically mixed and vibrated cement 1:2:4 in suspended floor, Roofs, Landings etc. etc.	365.297 cub mtr.	1200/- per cub mtr.	438356.40	364.977	437972.40	384.00 "
7/12	Providing Tor Steel inforcement.	114321.15 Kg	1.50 per Kg.	171481.72	114262.92	171394.38	87.34 "
17/43	Cement Plaster ceiling in c.m. 1:4	1385.64 Sq. mtr.	20/- per Sq. mtr.	27712.86	1383.40	27668.00	44.80 "
27/53	Provmding and laying of Cement, Sand and Cast Iron, Shur, Shigoat and Socket etc.	67.02 R.M.	140/- per R.M.	9382.80	65.62	9186.80	196.00 "
						Total :-	738.64 "
						Rebate 1.25%	9.23 "
						अधिक अदा हुई राशि जो ठेकेदार से काबिले वसूली है।	729.41 रुपये

लगातार....27.....

213 —

(3) उपरोक्त वर्णित बिल के साथ संलग्नित सीमेंट प्रयोग विवरणिका के अनुसार सीमेंट का उपयोग इस बिल तक गणना के अनुसार 6687.80 बैग निकलता है। जबकि वास्तव में इस बिल तक हुए कार्य तक 6787 बैग सीमेंट प्रयोग में लाए जा चुके हैं। (जिसमें अपव्यय 2 प्रतिशत था) जबकि गलत गणना होने के कारण 6666.89 बैग सीमेंट बनता है। अत: इस कार्य के भविष्य के बिल तथा सीमेंट प्रयोग विवरणिका तैयार करते समय इस विवरणिका को ध्यान में रखा जावे ताकि संविदाकार को अधिक सीमेंट भण्डार से जारी न हो सके।

(24) वाउचर संख्या:33 दिनांक 18.3.91 राशि 4,39,251/

मै0 कुन्दन लाल हरी राम संविदाकार को सामाजिक गृह योजना कसुम्पटी (सब-हैड-112-एम0आई0जी0)-II फ्लैटस का निर्माण तथा डब्ल्यू0 एस0 एण्ड एस0 आई0 के 11 वॉं (1) चलत बिल के मद संख्या: 12/15 के अन्तर्गत कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्राई रबल मेसनरी इन ब्रोस्ट वॉल एण्ड रिटेनिंग वॉल इत्यादि (के माप, बिल तथा माप पुस्तिका संख्या: 331 पृ0 8 में 236.51 घ0मी0 कार्य दिखा करके 250/-रू0 प्रति घ0मी0 की दर से 59127.50 रूपये अदायगी की गई है। जबकि माप पुस्तक में दर्ज आँकड़ों की गणना 236.33 घ0मी0 निकलते हैं जिसकी अदायगी योग्य राशि 59,082.50 रूपये बनती है। इस प्रकार संविदाकार को 45/-रू0 2 प्रतिशत छूट .90 पैसे काट करके 44.10 रूपये की अधिक अदायगी हुई है। जो इस संविदाकार के आगामी बिलों में से काट करके या नकद वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जावे।

(25) वाउचर संख्या:6 दिनांक 4.3.91 राशि 15,00,000.0

उपरोक्त वाउचर के अन्तर्गत हि0 प्र0 विद्युत बोर्ड, शिमला मण्डल संख्या:2 को उनकी रसीद संख्या: 184545 दिनांक 4.3.91 के अन्तर्गत Providing of W.SS. to K.Z.C. of Shiml Planning Area Agumentation of Shimla W.S.S. के अन्तर्गत अश्वनी खड्ड स्थित पम्प हाउ को बिजली उपलब्ध करवाने हेतु 15,00,000/-रूपये अग्रिम के रूप में पे संख्या:420419 दिनांक 4.3.91 के माध्यम से सब-डिविजनल ऑफिसर

214

बिजली उप-डिविज़न, शिमला (एक्सोएसईबो) को अदा किये। परन्तु इस अग्रिम का समायोजन लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस राशि का लेखा समायोजन शीघ्र करके आगामी अंकेक्षण के समय जाँच हेतु प्रस्तुत किया जावे।

(26) वाउचर सं0:16 दिनांक 12.9.90 राशि 4,12,285/-

कार्य का नाम :	Providing of W.S.S. to K.Z.C. of Shimla Planning Area and Agumentation of Shimla W.S.S. (S/H Cosntruction of Pump well 20 Lakhs litres capacity Kasumpti)
संविदाकार का नाम :	मै0 एम0 एल0 गुप्ता।
बिल संख्या :	~~10-वर्ष-1990-91-~~ प्रथम चालू बिल।
अनुबन्ध संख्या:	10, 1990-91.
माप पुस्तिका :	292 (पृष्ठ 1 से 10 तक)

इस कार्य के निर्माण से सम्बन्धित नींव खुदाई व गड्ढे इत्यादि का माप, माप पुस्तक संख्या:292 के पृ0 9 पर 1115.14 घ0मी0 दिखाया गया है तथा जिसकी अदायगी 45/-रु0 प्रति घ0मी0 की दर से 50181.20 रु0 की गई है परन्तु सम्बन्धित माप पुस्तक की जाँच करने पर यह माप 1109.31 घ0मी0 बनता है। इस प्रकार सम्बन्धित संविदाकार को 5.83 घ0मी0 की अदायगी 255.79 रु0 अधिक की गई है (262.35 - 2.5 प्रतिशत रिबेट) जिसकी अब शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

(27) वाउचर संख्या:27 दिनांक 11.6.90 कुल राशि रु0 59014.20 रुपये

कार्य का नाम :	Settling and Tarring of Link Road for Social Housing Scheme RD 0/- to K.M. 1/1200 except Common Portic-on with Shimla By-Pass.
बिल की संख्या :	दूसरा चालू बिल।
संविदाकार का नाम :	मै0 जेटली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, चण्डीगढ़।

215

इस कार्य के दूसरे चलत बिल के अन्तर्गत संविदाकार मै0 जेटली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रुपये 59014.20 की अदायगी की गई तथा दूसरे चलत बिल की अदायगी प्राप्त करने के उपरान्त ही संविदाकार द्वारा आगामी कार्य रिफ्यूज्ड किया और अब कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया। ऐसी परिस्थिति में अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार दोषी संविदाकार से टैण्डर्ड राशि का 10 प्रतिशत राशि मुआवजा के रूप में वसूली योग्य थी। इस कार्य की टैण्डर्ड राशि 4,46,224/-रुपये 16 पैसे थे और इस प्रकार इसका 10 प्रतिशत मुआवजा 44,623/-रुपये बनता है। अनुबन्ध की धारा-2 की अनुपालना में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या:टी/जी0/एस0डी0ए0/(डी)/अकाउंट-7/92/641-44 दिनांक 25.4.1992 के अन्तर्गत सम्बन्धित संविदाकार को कार्य अधूरा छोड़ने पर प्राधिकरण को 44623/-रुपये मुआवजे के रूप में जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया। परन्तु आज दिन तक न तो प्राधिकरण में सम्बन्धित संविदाकार द्वारा वह मुआवजे की राशि जमा कराई और न ही उपरोक्त पत्र के उपरान्त इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही ही की गई। अतः इस मुआवजे की राशि को सम्बन्धित संविदाकार से वसूलने हेतु शीघ्र उचित कार्यवाई की जावे तथा मुआवजे की राशि वसूल करके प्राधिकरण कोष में जमा करा करके अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जावे।

(28) वाउचर संख्या:17 दिनांक 11.12.90 के अन्तर्गत रु0 3,35,212/-रुपये की अदायगी :-

कार्य का नाम : व्यावसायिक परिसर कुम्हारी में "के" व "एल" ब्लॉक का निर्माण।

संविदाकार का नाम : मै0 अग्रवाल एण्ड कम्पनी।

बिल संख्या: दूसरा चलत बिल।

माप पुस्तिका संख्या: एस0डी0ए0 256 पृ0 सं0 19 से 34 तक।

इस बिल की मद संख्या:8/9 वास्ते Providing and laying mechanically mixed and vibrated in c.c.1:2:4 70 mm nominal size for re-inforced Chhajjas of any thickness of all floor bend level etc.

contd..30...

 216

में 3.365 घ०मी० कार्य करने पर 1600/-रुपये प्रति घ०मी० के दर से 5384.00 रुपये की अदायगी की गई। माप पुस्तक संख्या:256 के पृ० संख्या:32 के अनुसार इस मद पर किए गए कार्य का माप 3.337 घ०मी० ही निकलता है। इस प्रकार .28 घ०मी० की अदायगी संविदाकार को 1600/-रुपये प्रति घ०मी० की दर से 45/-रु० की अधिक अदायगी हुई है जो संविदाकार के अदायगी देय बिल से काट कर या नकद वसूल करके अनुपालना आगामी पड़ताल पर दिखाई जावे।

(29) वाउचर सं० 27 दिनांक 21.2.91, राशि रुपये 2,57,437.43 रुपये :-

कार्य का नाम : कम्युनिटी जोन में पानी की आपूर्ति और आगुमेन्टेशन ऑफ पानी की आपूर्ति योजना उप वर्क पी/एल ऑफ राईजिंग मेन।

संविदाकार का नाम : मै० अग्रवाल एण्ड कम्पनी।

अनुबन्ध संख्या: एस०डी०ए० 52 -1987-88.

माप पुस्तक संख्या : 270 पृष्ठ- 49 से 64 तक।

इस कार्य के 23 वाँ चालू बिल तक मद संख्या:3 के अन्तर्गत संविदाकार को पाईप के बाहरी भाग, फिटिंग्स की सफाई तथा जैंग व अन्य गन्द को सफाई तार वाले ब्रुश से करके शालीमास्टिक एम०डी० पेंट के तीन कोट करने हेतु रु० 1179774.10 रुपये अदा किए गए। परन्तु पाईप के अन्दरुनी भाग की पेन्टिंग इत्यादि का कोई भी विवरण बिल में नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण का निविदा मंगवाते तथा स्वीकृत करते समय इस कार्य को करवाने का कोई भी ईरादा नहीं था क्योंकि स्डयूल ऑफ क्वाँटिटी की मद, जो निम्न प्रकार से है, में सम्मिलित थी।

" that Pipe shall be treated with anticorrosive treatment with Shalimastic M.D. Paint of 3 coats.

परन्तु Schedule of Quantity दिए गए अभियान (Nomenclature) इस मद के अन्तर्गत यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि Anticorrosive, उपचार पाईप के अन्दरुनी भाग व बाहरी भाग दोनों में किया जायेगा परन्तु जो Schedule of Quantity का विवरण क्र संख्या:4

प नहीं।

पर दिया गया है, निम्न प्रकार से है :-

Anti Cowosive Treatment :-

The external surface of the pipes and fittings shall be cleaned to remove all rust and dirt by means to wire levushes and painted with Shalimastic H.D.Paint to be applied in 3 coats, But no specifications for internal paintings is indicated. It is implied that the S.D.A. has no intension to get the internal paintings done at the time of floating/accepting tenders and thus may be reasons for not covering the items under the footnote of the specifications of Schedule of Quantity. Moreover, this point was also not taken at the time of finalising the tenders.

इस प्रकार इस कार्य के 23 वें चलत बिल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह कार्य अतिरिक्त मद के अन्तर्गत पाईप के बाहरी भाग में पेन्ट तथा अन्दरूनी भाग में एण्टी कोरोसिव ट्रीटमेंट पेन्ट करके संविदाकार से करवाकर उसे 11,79,774,10 रुपये की अदायगी बिल संख्या:23 तथा वाउचर संख्या:27 दिनांक 21.2.91 के माध्यम से की गई। इन मदों का अनुमोदन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा एक्स-ई-एन (बी-1) तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा उनके पत्रांक एस0डी0ए0(डी)-डी0बी0-डब्ल्यु-एस-एस/शिमला/89-2232-34, दिनांक 24.7.89 तथा पत्रांक एस0डी0ए0ए.बी.(बी)टैन्डर/87-XII-II-3297 दिनांक 1.4.91 क्रमशः के अन्तर्गत किया गया बताया गया।

मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.2.88 के अन्तर्गत संशोधित स्डयूल आफ क्वाँटिटी को स्वीकृति देते समय यह निश्चित किया था कि फाईबर ग्लास "Fibro Glass double coat double wrapping on external surface."

की मद बहुत ही मंहगी ही नहीं अपितु इसके दर भी उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर अस्वीकृत की थी।

कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उनके पत्रांक:एस0डी0ए0-(डी-1)अकाउंट-11/90-1031-52 दिनांक 15.6.90 द्वारा संविदाकार को पाईप के अन्दरूनी भाग में पेन्ट करने के दावे को अस्वीकृत कर दि

218-

गया था । परन्तु सम्बन्धित संविदाकार द्वारा अपने पत्र संख्या: ए.सी./405/90-91 दिनांक 23.11.90 में बताया गया है कि उपरोक्त कार्य उस द्वारा मौके पर मौखिक आदेश देने पर ही किया गया । परन्तु संविदाकार के इस दावे का सत्यापन, अभिलेखों में कोई भी तथ्य उपलब्ध न होने से नहीं किया जा सका ।

अत: 31.03.1991 तक संविदाकार को एण्टीकोरोसिव ट्रीटमेंट/की मद के अन्तर्गत की गई अतिरिक्त अदायगी रु0 1179774.10 रुपये का औचित्य स्पष्ट किया जाये । संशोधित स्टडूल ऑफ क्वांटिटी की मद संख्या:1 में वर्णित दर Anticowosive treatment with the Shalimastic H.D.Paint with 3 coats etc. भी सम्मिलित है और इस प्रकार 31.03.1991 तक 11.79.774,10 रुपये जो अतिरिक्त कार्य किए जाने के लिए संविदाकार को दिये दिखाए गए हैं वे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देय नहीं थे । इस अनाधिकृत अदायगी को संविदाकार या/फिर दोषी कर्मचारी/ अधिकारी से वसूल किए जा करके प्राधिकरण में जमा हो और अनुवर्तन से इस विभाग को अवगत कराया जावे । अनुचित अदायगी का यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों व सरकार के ध्यान में लाया जाता है ।

(30) **श्री के0 एम0 खन्ना, तत्कालीन भण्डार प्रभारी, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निर्माण खण्ड एक का बकाया सामान चार्ज में न सम्भालना ।**

उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बकाया भण्डार सामान का कार्यभार अन्य कनिष्ठ अभियन्ता को 3.4.92 तथा 15.6.92 को अन्य सामान सम्भालते समय नहीं दिया गया तथा दिनांक 28.2.93 में उन्हें अपने विभाग को वापिस प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर कार्यभार से मुक्त कर दिया गया । यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि श्री के0 एम0 खन्ना से पूरा चार्ज लिए बिना ही उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया । अत: यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । बिन कार्डों की जाँच करने पर पाया गया कि उन द्वारा निम्नलिखित सामान, जो वर्तमान में बकाया में चल रहा है, को चार्ज सम्भालने वाले अधिकारी को नहीं सौंपा गया ।

विनकार्ड के अनुसार :

1.	राउन्ड बलियाँ	7	189.00
2.	झिंझिया कापल	0.43 घ0मी0	819.00
3.	लोहे के कुण्डल	542	1084.00
4.	टावर बोल्ट 15×10 एम0एम=306		341.50
5.	तारकोल के खाली ड्रम	80	3296.00
6.	लोहे के पेच 20 एम0एम 2644		31.85
7.	जन्दे	52	832.00

योग रुपये :- 7143.35 रुपये

अतः अब शीघ्र इस बकाया सामान को या फिर इसका मूल्य वसूल किया जावे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

निर्माण मण्डल संख्या:2 :::

(31) टोर स्टील को जारी करते समय भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित माप गुणक (फैक्टर) न लगा करके प्राधिकरण को 41,114/-80 की हानि।

भण्डार प्रभारी श्री आई सी0 शर्मा, प्रभारी भण्डार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भिन्न-भिन्न संविदाकारों को निर्माण कार्यों हेतु निम्न वर्णित स्टील जारी किया गया था परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता (भण्डार) द्वारा भारतीय मानक संस्थान द्वारा ~~[illegible]~~ निर्धारित मानक गुणक को न अपना करके तथा अधिक गुणक लगा करके बिन कार्ड संख्या: डी-11/7 तथा डी-11/26 में 3.263 मीट्रिक टन स्टील अधिक जारी किया गया दर्शाया गया है। निम्न सूचि के अनुसार क्रमांक 1 से 12 तक कुल 8 एम0एम डाया का स्टील को 42.677 मीट्रिक टन मात्रा जारी की गई दर्शाई गई जबकि भिन्न-भिन्न कार्यों हेतु जारी किए गए स्टील को सम्बन्धित माप पुस्तिका में 39.414 मीट्रिक टन स्टील ~~[illegible]~~ प्रयुक्त की दर्शाई गई है। इस प्रकार बिन कार्ड में वास्तव में 3.263 मीट्रिक टन स्टील अधिक दर्शा करके सम्भवतया: इसका दुर्विनियोजन किया गया जिसका मूल्य 41,114/-80 बनते हैं। इस राशि की वसूली बारे शीघ्र उपयुक्त पग उठाये जायें

920

दुर्विनियोजन का यह गम्भीर मामला उच्च अधिकारियों व सरकार के विशेष ध्यान में लाया जाता है ।

कृपया पृष्ठ नम्बर 35 पर देखें ।

क्र0	इन्डेंट सं0	बिन कार्ड सं0 व दिनांक	ठेकेदार का नाम।	डाया व्यास	शुल्क जो कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा लगाया गया।	इ0इ0 व शुल्क के अनुसार जारी की गई मात्रा	आई0एस0आई0 कोड के अनुसार शुल्क	वास्तव में जारी की गई मात्रा	अधिक जारी दर्शाया गया स्टील।	चालान सं0 व दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	डीएसबी-30/90-91 दि0 27.7.90.	डि-11/7	श्री आर0के0कपिला	8 एम0एम0	.45 कि0 प्रति वर्ग मीटर	2.052 मे0टन	.395 कि0प्रति वर्ग मीटर।	1.801 मे0टन	0.251 मे0टन	509/4.8.90.
2.	डीएसबी-33/90-91 दि0 16.8.90.	""	""	""	0.45 ""	2.895 ""	"""	2.541 ""	.354 ""	551/23.8.90.
3.	डीएसबी-027/90-91 दि0 27.7.90.	""	""	""	""	2.052 ""	"""	1.801 ""	.251 ""	510/4.8.90.
4.	एचडीएस/एनबी/639 दि0 24.10.90.	डि-11/26	श्री राजीव चौपड़ा	""	.43 ""	2.190 ""	"""	2.071 ""	.179 ""	506/25.10.91.
5.	एचडीएस/एसएनएच/208 दि0 23.9.91.	""	श्री आर0एस0 राणा	""	""	5.286 ""	"""	4.855 ""	.431 ""	1141/28.9.91.
6.	एचडीएस/एसएनएच/215 दि0 11.10.91.	""	मै0 विमैक्स एण्ड कं0	""	""	5.252 ""	"""	4.824 ""	.428 ""	1155/31.10.91.
7.	एचडीएस/एनबी/641 दि0 24.10.91.	""	मै0 दिनेश कुमार दर्शन कुमार।	""	.42 ""	2.900 ""	"""	2.727 ""	.173 ""	... 31.10.91.
8.	डीपीजीआर(जी)8/91-59 दि0 1.10.91.	""	"""	""	.42 ""	5.000 ""	"""	4.702 ""	.298 ""	615/1.10.91.
9.	डीपीजीआर/60 दि0 10/91.	""	मै0 अजय कुमार सूद	""	""	4.930 ""	"""	4.636 ""	.294 ""	509/15.10.91.
10.	डीपीजीआर/ए-63 दि0 9/91.	""	"""	""	""	3.120 ""	"""	2.934 ""	.186 ""	1157(ए) 15.10.91.
11.	डीपीजीआर(ए)4/91-64 दि0 9/91.	""	"""	""	""	3.000 "	"""	2.821 ""	.179 ""	1157(बी) 15.10.91
12.	डीपीजीआर/65 दि0 9/91.	""	"""	""	""	4.000 "	"""	3.761 ""	.239 ""	1157(सी) ....
					योग :-	42.677 ""		39.414 ""	3.263""	

लगातार पृष्ठ सं0 36......

— 222 —

32. भण्डार में कम स्टील प्राप्ति का दिखाना :-

प्राधिकरण के निर्माण मण्डल संख्या:1 के भण्डार से इंडेंट संख्या:एसडीए/आईबी/89-20, दिनांक 11.10.90 द्वारा 8 एमएम व्यास का स्टील 4.674 मी० टन प्राप्त हुआ । परन्तु निर्माण मण्डल 2 के भण्डार में भण्डार प्रभारी श्री आई० सी० शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जी० आर० संख्या: 104 दिनांक 12.10.90 द्वारा 2.812 मी० टन तथा जी० आर० संख्या:107 दिनांक 26.10.90 द्वारा 1.262 मी० टन स्टील प्राप्त हुआ दिखाया गया है । इस प्रकार 4.674 मी० टन स्टील की प्राप्ति के स्थान पर 4.074 मी० टन टौर स्टील 8 एमएम व्यास की प्राप्ति बिन कार्ड संख्या: डी-11/7 में दर्ज करके 0.600 मी० टन स्टील का गबन किया है । जिसका मूल्य 12,600/-रुपये (बाजार भाव) प्रति मी०टन की दर से 7560/-रुपये बनते हैं । जिला विकास प्राधिकरण द्वारा इस पर नियमानुसार कार्यवाही न करके इस स्टील का मूल्य सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के नाम डाल दिया गया । अतः अनियमितता का लेखांकन किया जाए तथा दोषी अभियन्ता से वसूली करके यह राशि प्राधिकरण के कोष में जमा कराई जाए व उसके विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाए ।

33. भण्डार के बिन कार्ड संख्या:डी-11/17,26,27 व 28 तथा सम्बन्धित सेल अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि श्री आई० सी० शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (भण्डार) द्वारा निम्न स्टील अधोलिखित संविदाकारों को जारी किया गया किन्तु जारी इन्डेंटों को संविदाकारों द्वारा प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं तथा भण्डारण रजिस्टर में भी इस आशय का टिप्पण दिया गया है कि संविदाकारों द्वारा निम्न इंडेंटों द्वारा जारी 25.537 मी० टन स्टील की प्राप्ति किए जाने से इन्कार किया गया था । यह तथ्य प्रकाश में आ जाने के पश्चात् भी उक्त स्टील की वर्णित मात्रा को पुनः भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है । इससे सम्भवतः स्पष्ट हो जाता है कि श्री आई० सी० शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 25.537 मी०टन स्टील का दुर्विनियोजन किया गया । इस स्टील का मूल्य तत्कालीन बाजार भाव से रु० 2,96,229.20 रुपये बनता है ।

...

प नहीं ।

- 223 -

शिमला विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि को वर्ष 1991-92 में श्री आई० सी० शर्मा के नाम लेखाओं में दर्शाया गया है। किन्तु न ही उक्त कर्मचारी के इस विषय में संलिप्त होने के प्रकरण में कोई विभागीय -य कार्यवाही की गई है न ही इस राशि की किसी प्रकार से वसूली की गई है। इतनी अधिक राशि वसूल करने हेतु भी शिमला विकास प्राधिकरण के पास कोई साधन नहीं है क्योंकि उक्त कर्मचारी अपने पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित हो चुका है। इतने अधिक मूल्य के स्टोर के दुर्विनियोजन का यह अत्याधिक गम्भीर मामला शिमला ~~विकास~~ विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों व हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

लगातार पृष्ठ सं० 38 पर।

क्र०सं०	इंडेंट सं० व दिनांक	बिल कार्ड सं० व दर्ज करने की दिनांक	स्टील का व्यास ।	स्टील को जारी किया गया दिखाया है ।	संविदकार का नाम जिसे स्टील जारी किया गया ।	निर्माण खण्ड सं०:2 द्वारा स्टाक/स्टोर रख-रखाव रजिस्टर के पृष्ठ संख्या व क्रमांक:	कार्य का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	वीएसपी/121-91/92 दिनांक 28.09.91.	डी-2/26 31.10.91	8 एमएम.	3.837 मी०टन	श्री आर०के०कपिला	पृ०सं० 56 क्रमांक 42.	वी०वी०एस० के नीचे रिहायशी कालोनी निर्माण कार्य ।
		डी-2/28 31.10.91.	12 एमएम.	2.988 ""	"""	"""	
		डी-2/17 31.10.91.	16 एमएम.	1.715 ""	"""	"""	
2.	वी०पी०आर०डि-11/91/74 दिनांक 11/91.	डी-2/26 11/91.	8 एमएम.	7.128 ""	मै० दिनेश कुमार दर्शन कुमार	पृ०सं० 62 क्रमांक 15	रिहायशी कालोनी के नीचे 7 मी० चौड़ी सड़क निर्माण तथा आर०सी०सी० दिवारों का निर्माण ।
		डी-2/27 11/91.	10 एमएम	1.720 ""	"""	"""	
		डी-2/27 31.11.91.	""	8.149 ""	"""	"""	
			जोड़ :-	25.537 मी०टन			

(जबकि मास नवम्बर के केवल 30 दिन ही होते हैं)

225

(34) श्री आर0 सी0 शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार प्रभारी द्वारा कम मात्रा में भण्डार सम्भालना :-

श्री आर0 सी0 शर्मा0 कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार प्रभारी, शिमला विकास प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाने के पश्चात दिनांक 8.10.91 को अपने पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिए तथा उनके स्थान पर श्री वी0 के0 कालिया, कनिष्ठ अभियन्ता को भण्डारण प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। श्री आर0 सी0 शर्मा द्वारा दिनांक 1.1.92 से 25.8.92 तक भण्डार की वस्तुओं को नव-नियुक्त प्रभारी को सौंपा गया। किन्तु निम्न विवरण के अनुसार श्री आर0 सी0 शर्मा द्वारा 7.915 मी0टन स्टील तथा 192 बैग सीमेंट कम सौंपे गए। तत्कालीन बाजार मूल्य के अनुसार इन कम सौंपी गई वस्तुओं 7.915 मी0टन स्टील तथा 192 बैग सीमेंट का मूल्य 1,14,566.00 रूपये बनता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से इन वस्तुओं को भण्डार प्रभारी द्वारा कम सौंप दिये जाने के कारण उक्त वस्तुओं का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। इन वस्तुओं को कम सौंपे जाने के तथ्य की शिमला विकास प्राधिकरण को पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी विभाग द्वारा न तो इस दुर्विनियोजन के प्रकरण में कोई कार्यवाही की गई है तथा न ही उक्त राशि की वसूली हेतु कोई पग उठाये गए हैं :-

क्र सं0	बिन कार्ड सं0	सामान का विवरण	बिन कार्ड के अनुसार शेष	चार्ज सम्भालने की तिथि।	जो सामान सम्भाला गया	सामान जो अभी तक सम्भाला नहीं गया
1.	डि-11/26	स्टील 8 एम0एम0 व्यास	2.509 मी0टन	25.8.92	1.500 मी0टन	1.009 मी0टन
2.	डि-11/27	स्टील 10 एम0एम0 व्यास	13.612 मी0टन	3.1.92 7.1.92	10.000 मी0टन .244	.. 3.368
3.	डि-11/17	स्टील 16 एम0एम0 व्यास	3.533 मी0टन	...	[illegible]	3.538
					योग :-	7.915 मी0
4.	डि-11/33	सीमेंट	604 बैग	7.1.92	412 बैग	192 बैग

226

35. बिन कार्ड संख्या:डी-11/32 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 22.6.91 को इंडैंट सं0 एन0बी0599 (इंडैंट जारी करने की तिथि अंकित नहीं की गई है) के अनुसार 180 बैग सीमेंट के जारी किए दर्शाए गए हैं। किन्तु इस इंडैंट की मूल प्रति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी तथा न ही इसे माह 6/91 के लेखाओं में सम्मिलित किया गया है तथा न ही इस इंडैंट के समक्ष जारी किए गए सीमेंट को किसी भी संविदाकार के खाते में इत्यादि में दर्शाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि भण्डार से 180 बैग सीमेंट का दुर्विनियोजन किया गया है। उक्त 180 बैग सीमेंट का मूल्य बाजार भाव के अनुसार 21,330/-रुपये बनते हैं। जिसका विभाग प्राधिकरण इस राशि को शीघ्र वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापित करवायें। इस मामले में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये। जिस से भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लग सके।

36. वाउचर संख्या:81 दिनांक 30.3.91, रु0 2,64,004.00 रुपये

"सातवाँ चलत बिल"

कार्य का नाम : बी0बी0एस0 के नीचे रिहायशी काम्पलैक्स फेज-जोन सं0 4 के अन्तर्गत भवनों का निर्माण :

यह कार्य संविदाकार श्री आर0 के0 कपिला द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता श्री बी0एस0 चम्बर के निरीक्षण में किया जा रहा है। इंडैंट संख्या:एस0डी0ए0बी0एस0पी0-9/30/90-91 दिनांक 30.6.90 द्वारा क्रमशः 3 एम0एम व्यास का टौर स्टील 2.052 मी0टन तथा 16 बैग सीमेंट के उक्त कार्य हेतु जारी किए गए जिनका इन्द्राज क्रमशः बिन कार्ड सं0 डी-11/7 तथा डी-11/9 में किया गया है परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या:110 की जाँच करने पर पाया गया कि इसके पृष्ठ संख्या:20 से 22 तक में केवल 180 बैग सीमेंट की प्राप्ति का ही इन्द्राज किया गया है तथा 2.052 मी0टन स्टील का कोई भी प्राप्ति इन्द्राज नहीं किया गया है इसके उपरान्त 3/1993 तक उक्त कार्य में चलत बिल संख्या:18 अनुसार रु0 52,66,1 रुपये अदा किए जा चुके हैं। जिन में संविदाकार से 2.052 मी0टन

प नहीं।

२२७

स्टोल का कोई मूल्य वसूल नहीं किया गया है । परिणाम-स्वरूप 2.052 मी०टन स्टील का अपयोजन किया गया है । जो कि एक गम्भीर अनियमितता है । अत: इसका मूल्य त्रिगुणित दर से अर्थात (8200/- ×2×2.052 मी०टन) =रु0 33,653/-रुपये बनते हैं जिन्हें शीघ्र वसूल करके प्राधिकरण कोष में जमा कराया जावे व अनुपालना ब्यौरा आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

37. वाउचर सं0 16 दिनांक 7.3.90 राशि 3,13,307/-रुपये :

" आठवां चलत बिल "

कार्य का नाम :- एक निर्माण कार्य बी०सी०एस० के नीचे फेज़/के नीचे रिहायशी परिसर के अन्तर्गत आर.सी.सी.आर. डब्ल्यु तथा सी, डब्ल्यु आफ वैली साईड-रोड जोब संख्या:1 ।

संविदाकार का नाम : मै0 गुरचरण इन्डस्ट्रीज

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एस0 एन0 शर्मा ।

इंडेंट संख्या:एस0एन0एस0-123, दिनांक 30.12.90 के अन्तर्गत 16 एम0एम व्यास का स्टील 3.271 मी0टन इस कार्य हेतु जारी किया गया जिसका इन्द्राज बिल कार्ड संख्या:डी-11/21में किया गया है परन्तु माप पुस्तिका संख्या:एस0डी0ए0-11/52 पृ0 सं0 84 में इस प्राप्ति का कोई भी इन्द्राज नहीं किया गया है और न ही बिल के साथ संलग्न स्टील प्राप्ति विवरणिका में कोई इन्द्राज उपलब्ध है । इसके उपरान्त 3/93 तक उक्त कार्य के चलत बिल सं0:(13) रु0 44,23,953/-रुपये का अदा कर दिया है परन्तु तब भी संविदाकार से 3.271 मी0टन टौर स्टील का कोई भी मूल्य वसूल नहीं किया गया है परिणाम-स्वरूप 3.271 मी0टन स्टील का अपयोजन किया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है । जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु शिमला विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों व हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया जाता है । 3.271 मी0टन का स्टील का मूल्य त्रिगुणित दर से अर्थात रु0 53,644/-रुपये शीघ्र वसूल करके इस कार्यालय को सूचित करने के अतिरिक्त अनुपालना आगामी अंकेक्षण समय भी दिखाई जाये ।

38. वाउचर सं0 77 दिनांक 30.03.91, रु0 51,619.00 रुपये :-

...

पर नहीं ।

128

" सातवाँ चालू बिल "

कार्य का नाम : बी0सी0एस0 के नीचे रिहायशी परिसर का निर्माण फेज-I, आर0सी0सी0, आर0 डब्ल्यू0 तथा बी0 डब्ल्यु वेली साईड ऑफ दी रोड ग्रुप सं0 2 :-

संविदाकार का नाम : श्री राजीव चौपड़ा ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एम0 बी0 क्टोच ।

इंडैंट सं0 एम0बी0-Z490 दिनांक 20.11.90 के अन्तर्गत इस कार्य के लिए 200 बैग सीमैंट जारी किए गए । जिनका इन्द्राज बिन कार्ड संख्या:डी-20 में भी उपलब्ध है ‡ तथा इस बिल के मापका इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या: 41 पृ0 49 से 57 तक किया गया है और सीमैंट प्राप्ति एवं व्यय का हिसाब पृ0 55 पर दर्ज है परन्तु इस सीमैंट का प्राप्ति इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं है । इसके उपरान्त 3/1993 तक उक्त कार्य के चालू बिल संख्या:चौदह {14} अनुसार मु0 40,74,862/-रुपये की अदायगी की जा चुकी है फिर भी संविदाकार 200 बैग सीमैंट का मूल्य वसूल नहीं किया गया है । परिणाम-स्वरूप 200 बैग सीमैंट का अधयोजन किया गया है । इस प्रकार इस सीमैंट का माप पुस्तक में लेखांकन न करने के कारण इसका गबन किया गया प्रतीत होता है । अतः 200 बैग सीमैंट का मूल्य संविदाकार से त्रिगुणित दर से अर्थात मु0 28,800/-रुपये बनते हैं, जिन्हें शीघ्र वसूल करके प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाए ।

विभाग द्वारा दोषपूर्ण लेखा प्रक्रिया जारी किए जाने के फलस्वरूप इस प्रकार की भण्डारण मदों का संविदाकारों से वसूली किया जाना सम्भव नहीं क्योंकि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा बार-बार ध्यान में लाये जाने के पश्चात भी संविदाकारों का इस बारे में कोई लेजर नहीं रखा गया है/था भण्डारण से जारी वस्तुओं की {मासिक लेखाओं} इन्डैंटों के सारांश के आधार पर सामान्य खातों में कोई पोस्टिंग नहीं की जाती है तथा न ही इस प्रकार जारी वस्तुओं का कोई लेखा समाधान किया जाता है । इस प्रकार की त्रुटियों से बचने हेतु नियमों में निर्धारित लेखा अभिलेख रखा जाना सुनिश्चित किया जावे ।

229-

39. प्राधिकरण के समस्त व्यय का 70 % घटक स्टोर/भण्डार अर्थात स्टील व सीमेंट इत्यादि की खरीद पर किया जाता है परन्तु इसकी खप्त पर कोई भी खास निगरानी नहीं रखी गई है जिससे भण्डार का दुरुपयोग होने की सम्भावना हर प्रकार बनी रहती है। प्राधिकरण में इस समय दो निर्माण मण्डल निर्माण गतिविधियों में संलग्न हैं तथा दोनों निर्माण मण्डलों के अपने-अपने पृथक भण्डार रखे गए हैं तथा प्राधिकरण की गतिविधियाँ केवल विकासनगर क्सुम्पटी जाने व न्यू शिमला (बी०सी०एस० के नीचे) तक ही सीमित हैं और इस प्रकार प्रत्येक निर्माण मण्डल का अपना-अपना भण्डार रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। पृथक-पृथक भण्डार के स्थान पर एक केन्द्रीय भण्डार होना चाहिए था। जिससे प्राधिकरण के समस्त निर्माणाधीन कार्यों की भण्डार आवश्यकता की पूर्ति की जाती तथा भण्डार के दुरुपयोग होने की सम्भावना पर अंकुश लग जाता।

40. उपरोक्त अनियमितताओं के अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि स्टाक/स्टोर का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जाता है और न ही इससे सम्बन्धित नियमों का पालन किया जाता है जिससे भण्डार में कई अन्य अनियमितताएँ होने की शंका भी प्रबलतर रहती है प्रत्यक्ष सत्यापन न किए जाने के कारण भी भण्डार के दुर्विनियोजन की प्रवृत्ति में बढ़ावा हो सकता है। इसलिए भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाये जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए और भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन भविष्य में नियमित रूप से किया ~~जाए~~/ जाना सुनिश्चित किया जाए।

41. शिमला विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संविदाकारों को नियमों में समाविष्ट प्रावधानों के विपरीत (मोबिलाइजेशन एडवांस) गतिशीलता अग्रिम दिये गए हैं। नियमों में विशेष प्रकार के साज-सामान तथा भारी संयन्त्रों के क्रय हेतु इस प्रकार के अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। शिमला विकास प्राधिकरण के संविदाकारों द्वारा न इ तो इतने अधिक मूल्य के संयन्त्र अपेक्षित थे और न ही उन द्वारा इनका किसी स्तर पर इन निर्माण कार्यों के लिए क्रय किया गया है। स्पष्टतया: यह अग्रिम आबंटियों के मूल्य पर संविदाकारों को अनुचित

— 230/-

लाभ दिये जाने के प्रयोजन से दिए गए हैं । शिमला विकास प्राधिकरण स्वयं निवेश की गई राशियों के ऊपर प्राप्त योग्य ब्याज के अतिरिक्त $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से और ब्याज देकर बैंकों से ओवर ड्राफ्ट की सुविधा सुविधा प्राप्त कर रहा है । अभिलेख के अनुसार निम्न राशि संविदाकारों को अग्रिम स्वरूप दी गई तथा विभिन्न वर्षों के अन्त में इन अग्रिमों के असमायोजित शेष भी नीचे दर्शाए,===गए हैं तथा प्रति-वर्ष बैंक से प्राप्त अनावश्यक ओवर ड्राफ्ट पर जो ब्याज, शिमला विका विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है वह भी सारणी रूप में नीचे दर्शाया गया है । इस प्रकार संविदाकारों को करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ देकर आवास आबंटियों पर अनुचित आर्थिक भार डालकर जो क्षति पहुँचाने का कृत्य किया गया है उस विषय में उच्च स्तरीय जाँच किए जाने की तथा दोषी कर्मचारियों / अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की अनुचित प्रक्रियाओं पर रोक लग सके ।

मोबिलाइजेशन एडवांस		ओवर ड्राफ्ट		ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज दिया ।	
अदायगी का वर्ष	राशि	वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
1989-90	11454317.00	1989-90	9500000/-	1989-90	159156.15
1990-91	2798234.00	1990-91	7287313.95	90-91	339836.90
कुल :-	14252551.00				

42. 20,43,603/-रुपये के मूल्य का स्टोर श्री आई० सी० शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार प्रभारी द्वारा अनाधिकृत रूप से जारी करना

श्री आई सी० शर्मा, तत्कालीन स्टोर प्रभारी को प्राधिकरण से स्थानान्तरण होने पर उन्हें दिनांक 3.10.91 को प्राधिकरण से कार्यभार से मुक्त कर दिया गया । तथा नये कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार श्री जी० सी० कालिया द्वारा 19.09.91 को कार्य ग्रहण कर लिया था परन्तु श्री आई० सी० शर्मा द्वारा नये स्टोर प्रभारी के कार्य ग्रहण करने के उपरान्त भी अनाधिकृत रूप से भिन्न-भिन्न संविदाकारों को स्टोर जारी करते रहे । परन्तु इस अनाधिकृत

प नर्हा ।

-231-

रूप से स्टोर जारी करने पर प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की और न ही नये स्टोर प्रभारी सहायक अभियन्ता (स्टोर) तथ कार्यपालक अभियन्ता द्वारा श्री आई० सी० शर्मा द्वारा लगातार स्टोर जारी करने पर कोई भी ठोस कार्यवाही की गई। इस प्रकार श्री आई० सी० शर्मा द्वारा 20,43,603/-रुपये का स्टोर अनाधिकृत रूप से जारी किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ लगातार पृष्ठ नं०:46 पर.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

क्रम सं०	सामान का विवरण	बिन कार्ड के अनुसार 8.10.91 को बकाया स्टोर।	बिन कार्ड संख्या:	अनाधिकृत रूप से 9.10.91 से आगे जो सामान जारी किया गया।	श्री ओ०पी० कालिया कनिष्ठ अभियन्ता (स्टोर) के स्टोर सम्भालने की दिनांक व मात्रा।	सामान जो कम दिया	अनाधिकृत रूप से जारी किया स्टोर व दर	जारी सामान का मूल्य
1.	स्टील 8 एम०एम० डाया	43.619 मी०टन	डी-II/26	41.11 मी०टन	दि० 25.8.92 1.500 मी०टन	1.009 मी०टन	10900/- प्रति मी०टन +2% भंडार चार्ज	457061/-
2.	10 ""	36.606 ""	डी-II/27	22.994 ""	दि० 7.1.92 व 3.1.92	3.368 ""	10760/-	252364/-
3.	16 ""	14.835 ""	डी-II/11	11.279 ""	10.244 ""	3.538 ""	10090/-	116266/-
4.	12 ""	23.995 ""	डी-II/27	23.713 ""	दि० 1.1.92 0.287 मी०टन	0.005 मी०टन अधिक दिया गया	~~9360/-~~ 10690/-	258562/-
5.	20 ""	2.125 ""	डी-II/5	2.000 ""	1.1.92 0.125 मी०टन	—	9360/-	19095/-
6.	25 ""	13.986 ""	डी-II/8	10.183 ""	1.1.92 3.803 मी०टन	—	9360/-	97219/-
7.	सीमेंट	4879 बैग	डी-II/33	4275 बैग	7.1.92 412 बैग	192 बैग	92/-60 प्रति बैग + 2% स्टोर चार्ज	682686/-
8.	सी०जी०आर०ई० शीटस	8.133 मी०टन	डी-II/12	7.980 मी०टन	12.8.92 0.153 मी०टन	—	19700/-80 प्रति टन + 2% स्टोर चार्ज	160350/-
							कुल :-	20.43.603/-

लगातार पृ० 47....

233

अनाधिकृत रूप से जारी इन स्टोर/स्टाक वस्तुओं को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित कराया जाये तथा इनका लेखा समायोजन आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए और यह भी प्रमाणित किया जाए कि जिन कार्यों के लिए अनाधिकृत रूप से स्टोर जारी किया है वह उन पर ही प्रयुक्त हुआ है । अन्यथा इस अनाधिकृत रूप से जारी स्टोर वस्तुओं बारे जिम्मेदारी निर्धारित की जाये तथा दुर्विनियोजित वस्तुओं का मूल्य वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

43. अनाधिकृत बिन कार्डों को इस्तेमाल करना :-

(अ) लेखा परीक्षा में निर्माण मण्डल संख्या: एक व दो के बिन कार्डों के अवलोकन करने पर पाया गया कि जो बिन कार्ड निर्माण मण्डल एक संख्या एक व दो द्वारा जारी किए गए थे उन्हें या तो भण्डार प्रभारियों द्वारा प्रयोगमें ही नहीं लाया गया है या फिर उन्हें अनाधिकृत रूप से उपलब्ध किए गए बिन कार्डों से बदलकर रखा है । यह तथ्य इस आधार पर सामने आया है कि प्रयोग में लाए गए बिन कार्ड जारी कर्ता अधिकारी से अधिप्रमाणित नहीं है और न ही उन बिन कार्डों का मिलान भण्डार में पडे बिन कार्डों से ही रहा है । निर्माण मण्डल द्वारा रखे गए बिन कार्ड जारी करने के रजिस्टर में भी इन बिन कार्डों को जारी करने का कोई भी स्टाक इन्द्राज उपलब्ध नहीं है । तथा जो बिन कार्ड निर्माण मण्डल द्वारा जारी किए गए हैं उनको प्रयोग में न लाकर बहुत गम्भीर अनियमितता की है । इसके अतिरिक्त यह भी यहाँ पर लिखना असंगत न होगा कि इन बिन कार्डों/स्टोर को किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच न करने से यह बात सामने नहीं आई । अत: यह समस्त मामले प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाए जाते हैं । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराया जावे ।

निर्माण मण्डल संख्या: एक व दो में जो अनाधिकृत बिन कार्ड प्रयोग में लाए गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

लगातार...पृ.48....

-234/-

क्रमांक	बिन कार्ड संख्या जो अनाधिकृत रूप से प्रयोग में लाए हैं तथा कार्यपालक अभियन्ता से भी अधिप्रमाणित नहीं है ।	नाम वस्तु जिस हेतु बिन कार्ड प्रयोग लाया गया है ।	निर्माण खण्ड संख्या जिससे पद सम्बन्धित है ।
1.	32	सीमेंट	एक
2.	33	""	""
3.	34	टोर स्टील 8 एमएम डाया	""
4.	35	"" 10 ""	""
5.	36	सीमेंट	""
6.	38	""	""
7.	40	""	""
8.	41	""	""
9.	42	""	""
10.	37	टोर स्टील 12 एमएम डाया	""
11.	39	"" 16 ""	""
12.	43	"" 8 ""	""
13.	44	"" 22 ""	""
14.	45	"" 10 ""	""
15.	47	"" 25 ""	""
16.	46	सीमेंट	""
17.	48	""	""
18.	49	""	""
19.	डी-II/24	सीमेंट	दो
20.	डी-II/25	—	""
21.	"" 32	""	""
22.	"" 33	""	""
23.	"" 30.	आर०सी०सी० पाईप	""
24.	"" 31	""	""

-235-

43

§ब§ वाउचर संख्या 29 दिनांक 12.6.90 राशि 89,683/-रु0

कार्य का नाम : व्यावसायिक परिसर बी0सी0एस0 §फेज-1§ से नीचे 16 नं0 ई0डब्ल्यूएस0 फ्लैटस §II§24 नं0 टाईप "ए" फ्लैटस §III§ 64 नं0 टाईप "बी" फ्लैटस §भवन भाग तथा डब्ल्यु0एस0 एण्ड एस0आई0§

संविदाकार का नाम : श्री रणजीत सिंह राणा ।

अनुबन्ध संख्या: 11, वर्ष 1989-90

बिल संख्या: प्रथम चलत बिल ।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रभारी का नाम : श्री एल0 एन0 शर्मा ।

§1§ इस निर्माण कार्य हेतु इंडैंट संख्या:एल.एन.एस. 33/5/90, दिनांक 10.5.90 के अन्तर्गत 8 एमएम डाया टौर स्टील का 5 मी0टन का काटा गया तथा मण्डलीय भण्डार से बिन कार्ड संख्या:सी/डी//II/2 में दर्ज आउट इन्द्राज के अनुसार जारी किया गया । परन्तु बाद में बिन कार्ड में दर्ज इन्द्राज के ऊपर 5 के स्थान पर 3 मी0टन ओवर-राईटिंग करके लिखा गया तथा बकाया भी 3 मी0टन को काट कर ही निकाला गया ।

इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तक संख्या:42 पृष्ठ-17 के अनुसार उपरोक्त इंडैंट के अन्तर्गत भी 5 मी0टन टौर स्टील 8 एमएम डाया का प्राप्त हुआ,* दिखाया गया है तथा इस कार्य पर भी इतना ही स्टील प्रयोग में हुआ दिखाया गया है और संविदाकार से वसूली भी 5 मी0टन की ही की गई है । इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भण्डार प्रभारी, श्री आई0 सी0 शर्मा द्वारा 5 टन स्टील जारी करने पर उसे बाद में ऊपर से लिख कर 3 मी0टन बताने का क्या उद्देश्य था । बिन कार्ड के अवलोकन से तो यही लग रहा है कि स्टोर प्रभारी श्री आई0 सी0 शर्मा के पास बकाया में अधिक स्टील स्टोर में पड़ा था तब ही उन द्वारा 5 टन के ऊपर ओवर-राईटिंग करके 3 टन किया गया । इसप्रकार यह समस्त मामला शंका-प्रद प्रतीत होता है । अत: इसे प्राधिकरण के ध्यान में उचित कार्यवाही तथा जाँच हेतु लाया जाता है । जाँच के परिणाम से इस विभाग को अवगत कराया जाये तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाये ।

§2§ उक्त बिल के अन्तर्गत संविदाकार श्री रणजीत सिंह राणा के

प.नं. ।

236

मद संख्या: 4(अ) Foundation footing columns and the mass concrete etc.. माप पुस्तक संख्या:42 पृ0 15 पर माप प्रविष्टि अनुसार 7.806 घ0मी0 कार्य किया गया परन्तु अदायगी इस बिल के अन्तर्गत 7.824 घ0मी0 कार्य का भुगतान मु0 1000/-रुपये प्रति घ0मी0 की दर से किया गया । इस प्रकार .018 घ0मी0 के मु0 18/-रुपये अधिक अदा किए गए जो कि सम्बन्धित संविदाकार से आगामी बिल में से काटे जायें या नकद वसूली किए जायें तथा अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

44) वर्क आर्डर पर करवाये गए कार्यों में सीमेंट की खपत ।

वर्ष 1990-91 में अदा किए गए बिलों में प्रायः यह देखा गया कि बहुत से कार्य वर्क आर्डर पर ही करवाये गए हैं तथा इन कार्यों के लिए भण्डार से सीमेंट इत्यादि जारी किया गया है तथा प्रयोग हुए सीमेंट पर भिन्नता (वैरियेशन) का ऊपरी स्तर पर लाभ भी दिया गया है । यह प्रत्येक वर्क आर्डर के कार्य 20,000/-रुपये की राशि तक के हैं तथा यह कार्य प्रथम या दूसरे बिल में ही पूर्ण हो गए हैं ।

वर्क आर्डर कार्य फार्म-11-ए में लिखित अनुबन्धों और शर्तों पर करवाये जाते हैं तथा प्राधिकरण द्वारा भी इसी पर्म व उन्हीं शर्तों पर करवाये गए हैं । इस प्रपत्र की शर्त-5 में निर्धारित है कि "समस्त सामान जो भी निर्माण कार्य पर उपयोग होना है और यदि वह सामान भण्डार में उपलब्ध है तो वह प्राधिकरण भण्डार/गोदाम से जारी दर, जो अनुसूचि-II में वर्णित हो" पर जारी किया जायेगा ।

अतः अनुबन्ध के प्रावधानों में सीमेंट की खपत पर भिन्नता (वैरियेशन) का लाभ देने का कोई भी संकेत नहीं है अतः कार्य पर हुए सीमेंट के वास्तविक व्यय को ही लिया जाना चाहिए । परन्तु निर्माण मण्डल-II द्वारा वर्क आर्डर पर करवाये जाने वाले कार्यों पर 5 प्रतिशत तक भिन्नता का लाभ भी सम्बन्धित संविदाकारों को दिया गया है । जो कि देय नहीं है । अतः आगामी पैरों में ऐसे भिन्नता का लाभ दिया गया है जो कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन है । अतः उन पैरों में वर्णित अधिक सीमेंट का मूल्य या तो सम्बन्धित संविदाकारों से वसूल किया जावे या फिर उन कनिष्ठ अभियन्ताओं से वसूल किया जावे जिन्होंने कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए संविदा-

... ।

य नहीं ।

— 237 —

कारों को अनुचित लाभ दिया है ।

45. कार्य का नाम : Breast Wall/Retaining Wall on the Hill Side of the Road between the Plots X-Wale "B" Plot level Residential complex below B.C.S.(63RD 5/o to 13/75)

वर्क आर्डर संख्या: 68, 1990-91.

वाउचर संख्या: 25, दिनांक 13.03.91.

संविदाकार का नाम : श्री पदम सिंह ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम: श्री एस० एन० शर्मा ।

बिल की राशि : 9,173.00 रुपये

इन्डेंट संख्या:एल०एन०एस०-88, 105 तथा 129 दिनांक क्रमश: 9/90, 11/90 तथा 2/91 के अन्तर्गत 30 बैग सीमेंट (10 बैग प्रति इन्डेंट) जारी किए हैं परन्तु बिल के साथ संलग्न उपयोग विवरणों (Consumption Statement) 28 बैग सीमेंट की है तथा प्रारूप शाखा (Drawing Branch) द्वारा भी 28 बैग सीमेंट का ही सत्यापन किया गया है । इस प्रकार 2 बैग सीमेंट जो संविदाकार को अधिक जारी किए गए हैं में से । बोरी सीमेंट का मूल्य निर्धारित दर से रु0 164/-रुपये वसूल कर लिए हैं जबकि दूसरे बैग का मूल्य रु0 164/-रुपये संविदाकार से वसूल नहीं किया है जो अब शीघ्र वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा करवाया जावे ।

46. कार्य का नाम : C/o Residential Complex B.C.S. Phase-I c/o Retaining wall RD 0/o to 8/0

संविदाकार का नाम : श्री भरत बोहरा,

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एस०एन० शर्मा

वर्क आर्डर संख्या: : 76 वर्ष 1990-91.

वाउचर संख्या: : 31 दिनांक 16.3.91 (प्रथम व अन्तिम बिल)

राशि : 13,673.00 रुपये ।

सीमेंट/स्टाक जारी रजिस्टर, निर्माण मण्डल संख्या:2 के अनुसार सीमेंट के 63 बैग निम्न वर्णित इंडेंटों के अनुसार संविदाकारों को जारी किए गए हैं :-

1.	SDA/LNS-73-8/90 Dt. 3.8.90	35 Bags.
2.	SDA/LNS-141-3/90 Dt. 11.3.91	13 ....
3.	SDA/LNS-70, Dt. 1.8.90	15 ....
	TE No. 75 of 8/90	Total:-63 Bags.

प न०।

238

परन्तु इस कार्य के अन्तिम बिल में केवल 48 बैग सीमेंट का इन्द्राज किया गया है और इन्हीं का मूल्य भी रु0 82/-रु0 प्रति बैग की दर से कुल 3936/-रुपये संविदाकार के बिल से काटे गए हैं।

इस प्रकार 15 बैग सीमेंट का कोई भी इन्द्राज माप पुस्तक संख्या: 31 पृष्ठ-82-83 पर नहीं किया है और न ही इसका कोई मूल्य संविदाकार से वसूल किया गया है और न ही 15 बैग सीमेंट स्टोर में जमा कराये गए हैं। अत: इन 15 बैग सीमेंट का मूल्य त्रिगुणित दर से 164/-रु0 प्रति बैग के दर से 2460/-रुपये सम्बन्धित संविदाकार या फिर दोषी कर्मचारी से वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा कराये जाएँ।

47. कार्य का नाम : डी0डी0एस0 केनौपि आवासीय कालौनी का निर्माण(निर्माण कार्य टाईप-ए"34 घर, टाईप "बी" 17 घर, टाईप "सी" 17 घर, तथा 5 घर टाईप"डी" जौब संख्या:1)

वाउचर संख्या: 75, दिनांक 30.3.91, 91,514/-रु0 सातवाँ चालू बिल।

अनुबन्ध संख्या: 12 (1989-90)

संविदाकार का नाम : श्री आर0 के0 कपिला।

कनिष्ट अभियन्ता का नाम : श्री बी0 एस0 पनवरे।

माप पुस्तक संख्या: एस0डी0ए0-II-11 पृष्ठ-98 में दर्ज इन्डेंट संख्या: डी0एस0पी0 0641, 90-91, दिनांक 24.11.90 के अनुसार 180 बैग सीमेंट जिसका मूल्य संविदाकार से 72/-रु0 प्रति बैग की दर से रु0 12,960/-रुपये जौब संख्या:1 के बिल में से काटा गया है जबकि इस इंडैंट के अन्तर्गत यह सीमेंट जौब नं0 4 के लिए जारी किया है और उसी में इसको प्रयोग में भी लाया गया है इस प्रकार इसकी वसूली भी इसी कार्य के बिल से होनी चाहिए थी। अत: इस राशि को अन्य कार्य से वसूल करने हेतु स्पष्टीकरण दिया जावे तथा इस अनियमितता का लेखांकन किया जावे।

48. कार्य का नाम : रिहायशी आवास कम्पलेक्स, डी0डी0एस0 केनौपि (फेज-1) 23 नं0 टाईप"ए" घर, 19 घर टाईप "बी" तथा 6 घर टाईप "सी" (भवन तथा डब्ल्यु एस एण्ड एस आई) जौब नं0 4)

बिल संख्या: 7 वाँ चालू बिल (वाउचर सं0:81 दिनांक 30.3.91, 264004/-रुपये

प नहीं।

— 239 —

अनुबन्ध संख्या : 14, 89–90

संविदाकार का नाम : श्री आर० के० कपिला ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री बी० एस० पनवर ।

इस निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए स्टील लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि इन्डेंट संख्या:एस०डी०ए०/पी०एस०-10/1, दिनांक 18.12.90 के अनुसार अन्तर्गत निम्नलिखित स्टोर सामान जारी किया गया :-

सीमेंट	180 बैग	
टौर स्टील :	8 एमएम	2.127 एम०टी०
	10 एमएम	0.714 एम०टी०
	12 एमएम	1.841 एम०टी०

परन्तु नाप पुस्तक संख्या:एस०डी०ए०-8 II/112, पृ-ष्ठ-22 मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार उपरोक्त अन्य सामान तो ठीक उतना ही दर्ज किया है परन्तु 8 एमएम डाया स्टील जो कि 2.127 एम०टी० के स्थान पर केवल 2 एम०टी० ही दिखा करके .127 एम०टी० का इन्द्राज नहीं किया है । अतः कम दर्ज स्टील 0.127 एम०टी० जारी दर से द्विगुणित दर 8200 × 2 × .127 टन के हिसाब से रु० 2083/-रुपये मूल्य संविदाकार से वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

(2) इन्डेंट संख्या:एस०डी०ए०/बी०एस०पी०-030/90-91 दिनांक 30.6.90 के अनुसार 8 एमएम डाया टौर स्टील 2.052 एम०टन तथा 180 बैग सीमेंट के जारी किए गए जिनका इन्द्राज क्रमशः बिन कार्ड संख्या: डी-2/7 तथा डी-2/9 में किया गया है । परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित नाप पुस्तक संख्या:110 को जाँच करने पर पाया गया कि नाप पुस्तक के पृष्ठ संख्या: 20 से 22 तक, केवल 180 बैग का इन्द्राज कर दिया गया है परन्तु 2.052 एम०टी० टौर स्टील का उसमें कोई इन्द्राज नहीं किया गया है । अतः उपरोक्त स्टील का नाप पुस्तक में इन्द्राज न करने बारे विभागीय जाँच की जाए और इस स्टील का मूल्य संविदाकार से या दोषी कर्मचारी से जारी दर के दो गुणा दर यानिके 8200 × 2 =16,40

940

प्रति मी0टन की दर से 2.052 मी0टन का मूल्य 33,653/-रुपये वसूल करके प्राधिकरण के खाते में जमा कराये जावें तथा दोषी कर्मचारि के खिलाफ अपनी ड्यूटी में कोताही करने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावे । दुर्विनियोजन का यह बड़ा मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों व सरकार के ध्यान में भी लाया जाता है ।

49. कार्य का नाम : मुख्य सड़क का निर्माण आर0डी0 98/1275 से 110/1275 तक ।

संविदाकार का नाम : श्री पूरन चन्द ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एम0 डी0 कटोच ।

वर्क आर्डर संख्या: 92/90-91, प्रथम तथा अन्तिम बिल ।

वाउचर संख्या: 37, दिनांक 16.03.91.

सीमेंट के व्यय की विवरणी जो बिल के साथ नत्थी की गई है तथा जिसकी जाँच ड्राईंग विभाग द्वारा भी दिनांक 10.3.93 को की गई है, के अनुसार इस निर्माण कार्य पर 49 बैग सीमेंट उपयोग हुआ दिखाया गया है तथा जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

मद संख्या: 3 :-	P/L C.C.I. in the morter 6:12 (1 Cement, 6 Sand and 12 Graded Stone) aggreg-ate c/o mm size and curing complete etc.	
Measures:-	2.52 cubic meter factor 2.2. Bags per cubic meter.	5.54
Item No.6 :-	Square rubble masonary cement morter 1:6 (1 cement, 6 Sand) 5.75 Cubic Meter Factor: 1.5 per cubic meter.	8.61 Bags.
Item No. 7 :-	Randum rubble masonary coursed with Hard stone. 21.19 cub.mtr. Factor: 1.65 Bags per cub. mtr.	34.96 Ba.
	Total :-	49.11 Bags.

Exact expenditure:- 50 Bags only.

परन्तु स्टाक जारी करने के रजिस्टर तथा इन्डेंट व बिन कार्डों तथा टी०ई०ओ० के अवलोकन से यह पाया गया कि इस कार्य के लिए केवल 40 बैग सीमेंट ही जारी किया गया है :-

इन्डेंट सं०	बिन कार्ड नं०	जारी किया गया सीमेंट ।
एसडीए/एमसी/487 दिनांक 7.11.90.	डी-II/29	15 बैग
""""" 498 23.11.90	डी-II/22	15 बैग
एसडीए/एमसी/टी.वाई. टी.ई.ओ. नं० 91 दिनांक 3/91	—	10 बैग
वर्क आर्डर नं० 93 के अधीन निर्मित भवन :- कार्य से स्थानान्तरण ।		40 बैग

अत: यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब इस कार्य को पूर्ण करने हेतु केवल 40 बैग ही जारी किए गए जबकि इस कार्य पर 50 बैग सीमेंट का उपयोग बिल के साथ संलग्नित विवरणों के अनुसार हुआ है । अत: यह स्पष्ट किया जाए कि यह कार्य 40 बैग सीमेंट से कैसे पूर्ण हुआ जब इस पर असल में 50 बैग लगाए जाने चाहिए थे । इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि या तो यह कार्य न्यूनतम स्तर का हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है । इस तथ्य को निर्माण मण्डल नं० 2 द्वारा भी अन्तिम अदायगी करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है । अत: इस पूर्ण मामले की जाँच की जावे कि वास्तव में यह कार्य हुआ भी है या नहीं । और 10 बैग सीमेंट जो संविदाकार को कम जारी किए गए हैं उनकी पूर्ति कहाँ से की गई । जाँच में दोषी ठहराये जाने वाले कर्मचारी / अधिकारी के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही भी की जावे ।

50. कार्य का नाम : Boundary lane belo Plot No.4 Lane RDM 6 to 12.30.

वर्क आर्डर संख्या: 129,1990-91.

वाउचर संख्या: 62 दिनांक 23.3.91. (प्रथम और अन्तिम बिल) रु० 4029/-80

संविदाकार का नाम : श्री ज्ञान चन्द ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एम०पी० कटोच ।

प नः ।

 242

उपरोक्त बिल के साथ संलग्नित सीमेंट उपयोग विवरणी जो कि ड्राईंग ब्रांच द्वारा जाँची गई है, के अनुसार निम्न सीमेंट उपयोग होना चाहिए था :-

	क्वाँटिटी	फैक्टर	सीमेंट उपयोग
मद सं0:3 पीएल/सीसी 1:6:12	1.51 घन मी0	2.2 बैग	3.32 बैग
मद सं:7 रैण्डम रब्बल मैसनरी इन सीएम आफ 1:6	12.53 घ0मी0	1.65 बैग	~~20.67~~ 20.17 बैग
		योग :-	23.49 बैग

या 24 बैग ।

परन्तु इस संविदाकार को 25 बैग सीमेंट जिसका मूल्य 82/-रूपये प्रति बैग की दर से रु0 2050/-रूपये बनता है, वसूली गया है । जबकि इस कार्य पर केवल 24 बैग ही उपयोग होने थे । विभागीय रूप से जाँच पड़ताल करके यह स्पष्ट किया जाए कि वास्त-व में प्रयुक्त 24 बैग सीमेंट की बजाय 25 बैग का मूल्य वसूल कैसे किया और यदि ठेकेदार को 25 बैग सीमेंट के जारी किए गए हों तो क्योंकि उसने एक बैग सीमेंट वापिस जमा नहीं किया इसलिए उसका मूल्य दो गुणा दर से रु0 164/-रूपये बनता है जबकि उससे केवल 82/-रूपये की दर से ही वसूली की गई है । इसलिए उससे 82/-रु0 और वसूली किए जाएँ ।

51. कार्य का नाम : Residential complex below B.C.S. Shimla (Phase-I) SH c/o 16 Nos Type (b)(ii) 4 Nos. Type (b) Flats 6 Nos, Type (c) flats in complex Block(iii) 4 Nos. type (b) 86 Nos. type (d) flats in composite Block building portion i/c W.S.& S.I. (Job No. 71

बिल संख्या: 7 वाँ चलत बिल ।

वाउचर सं0 : 80, दिनांक 30.3.91 राशि रु0 28,277/-रु0

संविदाकार का नाम : श्री आर0 एस0 थापा ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एन0 एस0 चौहान ।

इन्डेंट संख्या:एसडीए/10 दिनांक 1.2.90 द्वारा 25 एमएम डाया का स्टील 1.749 एम0टी0 तथा 22 एमएम डाया का स्टील 0.839 एम0टी0 जारी हुआ है परन्तु माप पुस्तक संख्या: 22 पृ0 संख्या:77 पर इस प्राप्ति का इन्द्राज निम्न प्रकार से किया है :-

प 0 नं0 ।

243

25 एम0एम स्टील 1.749 एम0टी0
22 "" "" 0. 83 एम0टी0

इस प्रकार माप पुस्तक पर .009 एम0टी0 स्टील कम लिया गया है । अतः .009 एम0टी0 स्टील का मूल्य 8200/-रुपये प्रति एम0टी0 के दर से 74/-रु0 सम्बन्धित संविदाकार के बिल में से काट या नकद वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे । Memorandum of Payment.. जो Deep Dhara [illegible] Builders & Engineer Contractors के छठे चालू बिल वाउचर सं0 71 दिनांक 30.3.91 मु0 121491/-रु0 of Residential Complex below B.C.S. Shimla (Phase-II (Job No.2) को अधिशासी अभियन्ता (डी0डी0ओ0) द्वारा अदायगी हेतु पारित नहीं किया गया है । अतः यह स्पष्ट किया जावे कि जब बिल को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अदायगी हेतु स्वीकृत ही नहीं किया गया तो इस बिल की अदायगी संविदाकार को कैसे कर दी गई । इस बिल को आहरण एवं वितरण अधिकारी से पारित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाएगा अनियमित ढंग से की अदायगी मु0 1,21,491/-रुपये को संविदाकार या दोषी कर्मचारी से वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा कराया जावे ।

इस बिल तक सीमेंट के 2815 बैग जारी किए गए थे तथा सीमेंट का वास्तविक उपयोग 2573 बैग हुआ था जिसका मूल्य 72/-रु0 प्रति बैग की दर से 1,85,256/-रुपये बनते हैं । पांचवें चालू बिल में से मु0 1,37,448/-रुपये वसूल कर लिए गए हैं तथा शेष 47,808/-रुपये इस बिल में से वसूल होने थे । परन्तु मैमोरण्डम ऑफ पमेंट के अनुसार संविदाकार के बिल में से केवल 47,708/-रु0 सीमेंट के मूल्य के काटे हैं । इस प्रकार उसे शेष अदायगी 1,00,735/- चैक संख्या:211233 दिनांक 30.3.91 के अन्तर्गत की है जबकि यह देय राशि 1,00,635/-रुपये बनती थी । अतः मु0 100/-रुपये जो संविदाकार को अधिक अदा किए हैं को शीघ्र वसूल किया जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे ।

[illegible]

२५५

52. कार्य का नाम : C/o Residential Complex below B.C.S. Phase-I C/o RCCR/Wall & B.W. on Vally sideof the Road Job No.1)

अनुबन्ध संख्या: 6 वर्ष 1989-90.

बिल नं० : आठवाँ चालू बिल (वाउचर सं०: 16 दिनांक 7.3.93 मु0 3,13,307.00 रुपये

संविदाकार का नाम: मे० गुरचरण इन्डस्ट्रीज, सैजौली ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एल० एन० शर्मा

इन्डेंट संख्या:126 दिनांक 5.2.91 के अन्तर्गत 12 एमएम डाया स्टील 1.550 एम०टी० जारी किया गया । परन्तु माप पुस्तक संख्या:52 पृ0 83 पर स्टील की प्राप्ति 1.50 एम०टी० दिखाई है तथा इसी का मूल्य भी संविदाकार के बिल से काटा गया है तथा इतना ही स्टील का उपयोग भी किया गया है दिखाया गया है । बिन कार्ड संख्या डी-II-21 के अनुसार भी 1.550 मी०टन स्टील ही जारी किया गया है । अत: 0.050 एम०टी० स्टील का मूल्य दर जो कि 820.00 रुपये (8200 × 2 ×0.050 एम०टी०) बनते हैं वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा कराये जावें ।

इन्डेंट संख्या: एल०एन०एस०-123 दिनांक 30.12.90, बिन कार्ड संख्या: डी-II/21 तथा निर्माण मण्डल संख्या:2 द्वारा स्टोर जारी रजिस्टर के अनुसार इस कार्य हेतु 16 एमएम टोर स्टील 3.271 एम०टी० जारी किया गया था परन्तु माप पुस्तक संख्या:एस०डी०ए०-II/52 पृ0 84 के अनुसार इस प्राप्ति का कोई भी इन्द्राज नहीं किया गया है और बिल के साथ संलग्नित विवरणिका में भी कोई इन्द्राज उपलब्ध नहीं है । जिससे यह स्पष्ट है कि 30.12.90 को जारी किए स्टील का गबन कर दिया गया है । अत: इसका मूल्य दो गुणा (पैनल रेट) दर से (3.271 एम०टी०×2× 8200 रुपये = मु0 53,644.00 रुपये बनता है, को वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा किया जावे तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावे । भारी राशि के गबन का यह मामला प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों व सरकार के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

..नहीं।

२४५

53\. वाउचर संख्या:52 दिनांक 21.3.91 के अन्तर्गत मै0 प्रै/क्स पैंकज इन्डस्ट्रीज, सोलन को उनके प्रोफोर्मा बिल दिनांक 18.3.91 के अनुसार । एम0टी0 टौर स्टील 10 एमएम दर 991.80 रुपये तथा 12 एमएम दर 1012.68 रुपये दोनों का कुल मूल्य 20097.30 रुपये चैक संख्या: 416698 दिनांक 21.3.91 के माध्यम से अदा किए किए ।

सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 22.3.91 को एक टन स्टील (10 एमएम व 12 एमएम दोनों) मु0 20044.80 रुपये में प्राप्त हुआ । (जिसका इन्द्राज बिन कार्ड संख्या: डी-II/21 तथा डी-II/28 पर किया गया है) इस प्रकार सम्बन्धित फर्म से मु0 52.50 रु0 वसूली योग्य निकलते हैं । परन्तु निर्माण मण्डल 2 के कर्मचारी द्वारा इस 52.50 रुपये की राशि की वसूली से सम्बन्धित कोई भी तथ्य दिखाने में अपनी असमर्थता दिखाई । अगर यह राशि प्राप्त हो गई हो तो इसका प्राप्ति का इन्द्राज दिखाया जावे या फिर यह राशि अभी तक वसूल नहीं हुई हो तो इसकी वसूली हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही की जावे ।

बिन कार्डों के अवलोकन से पाया गया कि इस स्टील को क्रय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी । जो कि निम्न सारणी से स्पष्ट है ।-

बिन कार्ड संख्या:डी-II/21 (10 एमएम डाया) :-

प्रोफोर्मा बिल दिनांक 18.3.91 को प्राप्ति के समय बकाया स्टील ।	4.03 एम0टी0
पैंकज इन्डस्ट्रीज सोलन से जी0आर0 सं0 140-ए दिनांक 22.3.91 द्वारा प्राप्त स्टील	1.00 " "
जी0आर0 सं0:144/91 दिनांक 7.4.91 को प्राप्त स्टील ।	22.00 " "
दिनांक 9.4.91 तकबकाया स्टील:-	27.003 एम0टी0

बिन कार्ड संख्या:डी-II/28 (12 एमएम डाया) :-

21.3.1991 बकाया स्टील	0.003 एम0टी0
22.3.91 को जी0आर0 सं0:140-ए के अन्तर्गत प्राप्त	1.000 " "
योग :-	1.003 एम0टी0

प नहीं ।

246

पूर्व पृष्ठ से :- 1.008 एम०टी०

7.4.91 को जी०आर० सं०: 144/91

द्वारा प्राप्त स्टील :- 10.080 एम०टी०

योग :- 11.088 एम०टी०

7.4.91 को बकाया स्टील ।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण को दिनांक 21.3.91/22.3.91 को बाजार से स्टील क्रय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा बाजार से यह स्टील क्रय करके रु० 8374/-रुपये का अधिक व्यय किया है । क्योंकि स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर अदायगी करके प्राधिकरण को जो हानि पहुँची है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

डाया	स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित दर ।	बाजार भाव जिस पर क्रय किया गया	फर्क अन्तर	क्रय किए गए स्टील का वजन	अधिक अदा की गई राशि
10 एमएम	963.61 रु०	1012.60 रु०	49.07	1 टन	4907.00
12 एमएम	957.13 "	991.80 "	34.67	1 टन	3467.00
				योग :-	8374.00

अतः इस सम्बन्ध में पूर्णरूप से छानबीन की जावे तथा प्राधिकरण को हुई हानि की वसूली दोषी व्यक्ति से की जावे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

64. कार्य का नाम : C/o Residential complex below B.C.S. Shimla (i) C/o 16 Nos,E.W.S. Flats (ii) 24 Nos. Type (a) Flats (iii) 64 Nos. type B Flats.

अनुबन्ध संख्या: 11,1989-90 {वाउचर सं०: 14 दिनांक 6.3.91, राशि 53176/-रुपये}

बिल संख्या: चौथा {4} चालू बिल ।

संविदाकार का नाम : श्री आर० एस० राणा ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एस०एन० शर्मा ।

{1} माप पुस्तक संख्या:एस०डी०ए०-2-62 पृ० संख्या:50 पर दर्ज माप के अनुसार 12 एमएम डाया टौर स्टील का प्रयोग भिन्न-भिन्न समय पर 3149.85 चालू मीटर दिखाया गया है तथा किग्रा०

247

में बदलकर 0.89 किलो प्रति चालू मीटर के दर से 2803.37 किलो + 3878.67 किलो (माप पुस्तक 62 पृ0 32 से) = 6682 किलो स्टील प्रयोग किया गया दिखाया गया है जबकि वास्तव में माप पुस्तक 62 पृ0 8 पर दर्ज माप का योग 3149.85 चालू मीटर के स्थान पर 3049.85 चालू मीटर आता है तथा इसे किलो में तबदील करके यह 2414.37 किलोग्राम आता है । तथा इसमें माप पुस्तक 62 पृ0 32 पर दर्ज माप के अनुसार 3878.67 किलो जमा करके 6593 किलो स्टील आता है । इस प्रकार इस मद में 89 किलो स्टील का अधिक प्रयोग किया बताया है । तथा सम्बन्धित संविदाकार को 10.50 रु0 प्रति किलो की दर से 89 किलो पर 9.35 रुपये कम रिबेट दर 1% की दर से 10/- कम करके 925/-रु0 अधिक अदा किए हैं जो अब वसूल करके जमा रोकड़ किये जावें ।

(2) इसके अतिरिक्त माप पुस्तक 62 पृ0 55 पर 12 एमएम डाया स्टील की बकाया स्थिति निम्न प्रकार से दिखाई गई है :-

	माप पुस्तक संख्या 62 पृ0 55 पर वर्णित स्टील 12 एमएम का विवरण ।	वास्तविक बकाया जो होना चाहिए था ।
12 एमएम डाया स्टील जो प्राप्त हुआ है ।	10 एम0टी0	10 एम0टी0
चालू बिल तक व्यय किया स्टील ।	6.682 एम0टी0	6.593 एम0टी0
बकाया स्टील: योग :-	3.318 एम0टी0	3.407 एम0टी0

इस प्रकार 12 एमएम डाया स्टील का 89 किलोग्राम व्यय अधिक दिखा करके बकाया स्टील 3.318 एम0टी0, 3.407 एम0टी0 के स्थान पर दिखाया गया है । अत: 89 किलो स्टील का मूल पेनल दर (89×8200×2)=1460 रुपये बनते हैं वसूल करके प्राधिकरण कोष में जमा कराये जावें ।

(3) इन्डेन्ट संख्या:एस0डी0ए0/एस0एम0एस0-27/4/90 दिनांक 26.4.90 के अनुसार जैसे कि माप पुस्तक संख्या:एस0डी0ए0-II/62 पृ0 35, अन्य डाया के स्टील के अतिरिक्त 10 एमएम डाया

248

का टौर स्टील ~~490~~ 4.490 एम०टी० इस कार्य को जारी हुआ दिखाया है जबकि बिन कार्ड संख्या:एस०डी०ए०-II-3 के अनुसार इस डाया का स्टील 4.491 एम०टी० जारी किया गया है इस प्रकार .001 एम०टी० स्टील माप पुस्तक पर कम दिखाया गया है । अतः अब 10 एमएम डाया स्टील का बकाया .198 एम०टी० के स्थान पर .199 एम०टी० दिखाया जावे ।

55. कार्य का नाम : निर्माण कार्य सात मीटर चौड़ी मेन सड़क आर०डी० 0.00 से 0.685 के साथ पहाड़ी की ओर आर०सी०सी० दिवार का निर्माण ।

बिल संख्या: प्रथम चालू बिल {वाउचर संख्या:45 दिनांक 18.3.91 राशि 1,35,066/-रुपये

अनुबन्ध संख्या: 2, 1990-91.

संविदाकार का नाम : मै० दिनेश कुमार दर्शन कुमार ।

कनिष्ठ अभियन्ता : श्री ओ० पी० रत्न ।

माप पुस्तक खाता एस०डी०ए०-II-82 पृ० 39 तथा बिल के साथ संलग्नित विवरणिका के अनुसार इन्डेंट संख्या:ओ०पी०आर० {1}पी०एस०-6-2/91-9 दिनांक 20.2.91 के अनुसार निम्न डाया का स्टील प्राप्त हुआ है :-

12 एमएम डाया स्टील	3.565 एम०टी०
10 एमएम डाया स्टील	6.961 एम०टी०

जबकि बिन कार्ड संख्या: डी-IV/21 के अनुसार ~~ZZZZ~~ 12 एमएम का स्टील केवल 3.325 एम०टी० ही जारी किया गया तथा यही तथ्य निर्माण मण्डल-2 द्वारा रखे गए स्टाक रजिस्टर से भी स्पष्ट है ।

अतः यह स्पष्ट किया जावे कि .240 एम०टी० स्टील 12 एमएम डाया का अन्तर बिन कार्ड तथा माप पुस्तक के अनुसार क्यों तथा कैसे है । अतः इस अनियमितता की जाँच की जावे तथा वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जावे । या 0.240 एम०टी० स्टील का मूल्य दो ~~गुने~~ गुने दर से दोषी कर्मचारी से वसूला जाए ।

 247.

56. कार्य का नाम : C/o Residential complex below B.C.S. Phase-I, SH-c/o R.C.S. Retaining Wall and B/W on valley side of the Road (Job No.2)

अनुबन्ध संख्या: एस0डी ए0-II/5 वर्ष 1989-90.

बिल संख्या: 7 वाँ चलत बिल ।

वाउचर संख्या: 77 दिनांक 30.3.91 कु0 51,619.00 रुपये

संविदाकार का नाम: श्री राजीव चौपड़ा ।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रभारी : श्री एम0सी0 कटोच ।

इन्डेंट संख्या:एम0सी0/490 दिनांक 2.11.90 के अन्तर्गत इस निर्माण कार्य हेतु 200 बैग सीमेंट संविदाकार को जारी किए गए थे तथा इससे सम्बन्धित इन्द्राज निर्माण मण्डल-2 द्वारा रखे गए स्टॉक रजिस्टर में भी उपलब्ध है । इस निर्माण के सातवें चालू बिल के माप का इन्द्राज माप पुस्तक 41 पर पृ0 49 से 57 तक किया गया है तथा सीमेंट के प्राप्ति तथा खर्च का लेखा इस माप पुस्तक के पृ0 संख्या:55 पर रखा गया है । परन्तु इस 200 बैग सीमेंट प्राप्ति का कोई भी इन्द्राज माप पुस्तक पर उपलब्ध नहीं है और संविदाकार के बिल में से भी इस बारे कोई वसूली नहीं हुई है । इससे लगता है कि 200 बैग सीमेंट का दुर्विनियोजन किया गया है । अतः इस 200 बैग सीमेंट का मूल्यदण्डित दर अर्थात 200x72/-x2= 28,800/-रुपये बनता है जो कि सम्बन्धित संविदाकार या दोषी कर्मचारी से वसूला जाये तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही भी की जाये ।

57. कार्य का नाम Residential Complex below B.CS. (Phase-I) C/o 25 Nos, Type-A Houses 21 Nos, Type-B Houses & 8 Nos, Type C Houses building portion including W.S.&S.I. (Job No.5)

अनुबन्ध संख्या: एसडीए-डी-II/13 वर्ष 89-90,

वाउचर संख्या: 83 दिनांक 30.3.91 कु0 37,835/-रुपये

बिल संख्या: नौवाँ चलत बिल । (9)

संविदाकार का नाम: मै0 सिमेक्स कन्स्ट्रक्शन कं0, नई दिल्ली ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एम0 सी0 कटोच ।

निम्न विवरण अनुसार रोलड स्टील मैं दरवाजे व खिड़कि के चौखट संविदाकार को जारी किए :-

2501

इन्डेंट संख्या: 342 दिनांक 24.4.90 टि०ई० सं०: 8 माह 5/90,

दरवाजे के फ्रेम	संख्या:	वज़न
10 × 209	125	2253.75 किलो
75 × 209	43	747.34 किलो
70 × 209	30	515.10 किलो
योग :-	198	3516.19 किलो

इन्डेंट संख्या: 343 दिनांक 24.4.90, टि.ई. 11 माह 5/90.

स्टील गलेज्ड खिडकियाँ व रोशनदान के फ्रेमज	संख्या	वज़न
240 × 120	6	11.52 वर्गमीटर
160 × 120	68	130.56 """"
115 × 82	20	18.86 """"
82 × 60	20	9.84 """"
	योग :-	170.78 वर्गमी०

......माप पुस्तक संख्या:102 पृ० 12 के अनुसार दरवाजे के फ्रेम के 244.52 किलो का मूल्य जो प्रयोग में लाया गया की वसूली निम्न प्रकार से हुई है।

244.52 किलो का मूल्य ~~1371~~ 10.71 रुपये प्रति किलो की दर से : 2619.00 रु०

माप पुस्तक सं०71 पृ० 36 के अनुसार प्राप्त राशि : 1500.00 "

इस बिल में से काटी गई :- 1119.00 "

अतः इस प्रकार संविदाकार के पास 3271.67 किलो दरवाजे के फ्रेम शेष में हैं परन्तु इसका कोई भी विवरण माप पुस्तक में नहीं दिया गया है। इसी प्रकार माप पुस्तक 102 पृ० 12 पर दर्ज विवरणानुसार 8.17 वर्गमी० स्टील गलेज्ड खिडकियाँ व रोशन दान का प्रयोग कार्य पर हुआ है जिसका मूल्य 285/-रुपये प्रति वर्गमी० की दर से 2328/-रुपये इस बिल में से काटे गए हैं। परन्तु बकाया 162.61 वर्गमी० खिडकियाँ तथा रोशनदान का कोई भी विवरण माप पुस्तक पर नहीं दिया गया है।

गया।

ए नहीं।

251/

अत: माप पुस्तक पर ~~बन्देने~~ से क्रय सामान का का विवरण न देने से इसके निर्माण स्थान से आगे पीछे होने की सम्भावना हो सकती है। अत: पूर्ण विवरण न देने के कारणों से अवगत कराया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि क्रय सामान निर्माण स्थान पर सुरक्षित है तथा इसकी वसूली आगामी बिल बिलों में से करके अंकेक्षण को दिखा दी जायेगी।

58. रुपये 21,97,158/-रुपये के निर्माण कार्यों को छोटे-छोटे वर्क आर्डर देकर विभाजित करना :-

निर्माण कार्यों के नियमों के अन्तर्गत वर्क आर्डर को विभाजित नहीं करना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्क आर्डर का मूल्य 20,000/-रु० तक, प्रत्येक मामले में, ही सीमित होने पर ही कार्य करवाने हेतु कार्यपालक अभियन्ता की सक्षमता में आकर के स्वीकृति प्रदान की जा सकती है अगर किसी भी वर्क आर्डर का मूल्य 20,000/-रुपये से बढ़ जाता है तो इस हेतु निविदाऐं मंगवाने की आवश्यकता होती है ताकि खुले बाज़ार की प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सके।

वर्क आर्डरस से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से यह बात सामने आई है कि पड़ताल काल में 21,97,158/-रुपये के (जिनका विवरण पड़ताल पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "छ") मूल्य के कार्यों को 133 छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करके प्रत्येक कार्य का मूल्य 20,000/-रु० या इससे कम रख करके कार्यपालक अभियन्ता की सक्षमता में ~~करके~~ लाये गए तथा छोटे-छोटे संविदाकारों से यह कार्य वर्क आर्डर जारी करवाकर निविदाओं को मंगवाने की प्रक्रिया को नकार करके खुले बाज़ार प्रतियोगिता के लाभों से प्राधिकरण को वंचित होना पड़ा। अत: 21,97,158/-रुपये के कार्य को छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करने की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित किया जाए तथा अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

यह भी आवश्यक है कि भविष्य में बड़े कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की प्रक्रिया को बन्द किया जावे।

59. रु० 33,282/-रुपये का परिहार्य व्यय जो खुले बाज़ार से सीमेंट क्रय ~~करने पर किया गया है~~

नहा।

य नहीं।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस अवधि में 10465 बैग सीमेंट खुले बाजार से विभिन्न स्थानीय फर्मों से क्रय किए जिसका विस्तार से विवरण निम्न प्रकार से है :-

लगातार पृष्ठ नं० 67....

कार्य कण्डिका संख्या:1 :-

फर्म का नाम जहाँ से सीमेंट क्रय किया।	वाउचर सं० व दिनांक	क्रय किए सीमेंट बैग की संख्या	दर रु०	राशि(रु०)	अधिकृत स्रोत से क्रय किए सीमेंट का दर वाहन व्यय के साथ।	राशि जो वास्तव में व्यय होना थी	परिहार्य व्यय की राशि (कॉलम:6 व 8)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
मे० बिन्दरा स्टोर	18/17.4.90	200 बैग	80.50 प्रति बैग	16300.00	79.00 प्रति बैग	15800.00	500.00
मे० गोयल ब्रादर्स,बोकारो	19/18.4.90	600 बैग	""	48900.00	""	47400.00	1500.00
बेन फेड	25/21.4.90	2000 बैग	""	163000.00	""	158000.00	5000.00
""	4/4.5.90	1600 बैग	81.50 प्रति बैग	132000.00	""	126400.00	5600.00
निर्माण कण्डिका संख्या:2 :-							
मे० बा०पा० गोयल ब्रादर्स बोकारो।	14/15.5.90	1505 बैग	81.50 प्रति बैग।	122657.00	""	118895.00	3762.00
मे० गोयलब्रादर्स , बोकारो	15/4.8.90	360 बैग	83.50	30060.00	""	28440.00	1620.00
हिन फेड	30/18.4.90	1000 बैग	81.50	81500.00	""	79000.00	2500.00
मे० बा०पा० गोयल, बोकारो।	38/19.4.90	350 बैग	81.50	28525.00	""	27650.00	875.00
मे० गोयल ब्रादर्स,बोकारो	56/24.4.90	400 बैग	81.50	32600.00	""	31600.00	1000.00
मे० बा०पा० गोयल बोकारो।	70/25.4.90	450 बैग	81.50	36675.00	""	35550.00	1125.00
मे० हिन फेड, सिमडेगा	72/26.4.90	1000 बैग	82.50	82500.00	""	79000.00	3500.00
स्टेट फूड कॉरपोरेशन	24/1.8.90	400 बैग	85.50	34120.00	""	31600.00	2520.00
—"—"—"—"—	25/10.8.90	600 बैग	""	51180.00	""	47400.00	3780.00
योग :-		10465.बैग		860017.00		826735.00	33282.00

-254-

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खुले बाजार से सीमेंट क्रय करने पर प्राधिकरण को 32282/-रुपये की हानि उठानी पड़ी जबकि यह हानि परिहार्य थी प्राधिकरण के अभिलेख से पता चलता है कि इस संस्था न द्वारा नियन्त्रक (भण्डार) हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर संविदा के आधार पर सीमेंट ए०सी०सी० बरमाणा से नागरिक आपूर्ति कौरपोरेशन (सिविल सप्लाई कौरपोरेशन) के माध्यम से उन्हें 1.50 रुपये प्रति बैग की दर से प्रभार पर सीधे बरमाणा से प्राप्त होता था । परन्तु बिना किसी तथ्यों पर आधारित अचानक ही अनुमोदित फर्म से एन०ए०सी० प्राप्त कर तथा निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही सीमेंट बाजार से खरीदने का औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया और खुले बाजार से (कोडल औपचारिकताएँ) पूरी किए बिना ही ऊँची दर पर खुले बाजार से क्रय किया गया । अत: इस अनियमित खरीद को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित कराया जावे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे या इस हानि बारे जिम्मेदारी निर्धारित करके दोषी कर्मचारी से वसूली की जाए ।

60. निर्माण मण्डल संख्या:1

निर्माण कार्य का नाम	:	वाणिज्य परिसर, नाहुलपटी परिक्षेत्र का निर्माण (उपरी)-ई-1 तथा ई-2 ब्लाक जिसमें जल वितरण योजना भी सम्मिलित है तथा आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर के अतिरिक्त परन्तु गाड़ी स्थान ब्लॉक-ए-4 व ए-5 के सामने भी सम्मिलित का निर्माण)
निष्पादन अभिकरण व अनुबन्ध सं० व दिनांक	:	संविदाकार द्वारा, श्री एन०एल० गुप्ता संविदाकार अनुबन्ध संख्या: 18, 1989-90.
अनुमानित लागत	:	11,96,223/-रुपये
निविदा राशि	:	22,07,954/-रुपये
कार्य आरम्भ करने की दिनांक	:	29.12.1989.
कार्य पूर्ण करने की निश्चित दिनांक	:	27.6.90.

255

वर्तमान स्थिति : कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य का अन्तिम बिल अदा नहीं हुआ है ।

प्रशासकीय अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति : अभी तक प्राप्त नहीं की गई है ।

इस कार्य के विश्लेषण से निम्न तथ्य सामने आए हैं :-

(1) निर्माण कार्य को संशोधित प्राक्कलन को बनाये बिना ही करवाना :-

इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से यह बात सामने आई है कि निर्माण कार्य का काम बिना प्राक्कलन तैयार किए ही करवाया जा रहा है । केवल टेण्डर मंगवाने के लिए ही औपचारिकता मात्र प्राक्कलन बनाया गया है । अतः संशोधित प्राक्कलन वास्तुकार तथा अनुमोदित आकार (स्ट्रक्चर) के अनुसार न बनाने के कारण निर्माण कार्य में 27 प्रतिशत से 170 प्रतिशत तक 8वें चालू बिल तक अन्तर (डेवियेशन) आ रहा है । जिसके कुछएक उदाहरण निम्न प्रकार से हैं :-

लगातार पृष्ठ नं0 70.....

क्रम सं0	नाक्क प्राक्कलन की मद संख्या	कार्य का विवरण	कार्य के पूर्ण होने तक अनुमानित कार्य	अंकित बिल तक हुए वास्तविक कार्य का माप ।	अन्तर (डेविएशन)	अन्तर प्रतिशत
1.	2 (अ)	नींवे (फाउंडेशन (फुटिंग)	11.20 एम^2	179.89 एम^2	168.69 एम^2	15.06 %
2.	2 (ब)	साफ ऊपरी तल (फ्लेट सरफेस)	93.80 एम^2	125.24 एम^2	31.44 एम^2	33.51 %
3.	2 (सी)	बिम व कन्टोलिवर	127.24 एम^2	222 एम^2	94.76 एम^2	74.47 %
4.	4 (डी)	कालम पिल्लर और ढाँचा	5.64 एम^2	13.937 एम^2	8.397 एम^2	176.52 %
	8	मिश्रित चिनाई 1:6 के साथ सीमेंट कंक्रीट 1:4:8	269.66 क्यू0मी0	406.57 एम^3	136.91 एम^3	50.77 %
	9	ईंटों का कार्य दूसरी क्लॉस 1:6 के अनुपात में ।	56.15 एम^3	85.292 एम^3	29.142 एम^3	...
	10	आधी ईंटों (दूसरी क्लॉस) 1:4 के अनुपात में ।	1070.70 एम^2	1316.50 एम^2	245.80 एम^2	22.95 %
	29	लोहे के दरवाजे व तालियाँ (अ)	152.49 एम^2	313.52 एम^2	161.03 एम^2	105.6 %
		(ब)	152.49 एम^2	192.87 एम^2	40.38 एम^2	26.48 %
	30	लोहे के दरवाजे और चौखटें ।	251.85	424.30	172.45	68.47 %

लगातार पृष्ठ नं071.......

- 257 -

अतः प्राधिकरण द्वारा यह व्यय संशोधित प्राक्कलन व कार्य मदों में अन्तर (डेवियेशन) को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया जा रहा है।

अतः यह मामला मुख्य कार्यकारी एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(2) प्रतिस्थानी मद (सब-स्टीच्यूट मदें)

आठवें चालू बिल तक 34,587.50 रुपये की निम्न मदें के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही ऐग्जीक्यूट की गई हैं :-

क्रम सं०	आठवें चालू बिल में किए प्रतिस्थानी मदों का विवरण।	मात्रा	दर	राशि
1.	63 एमएम थिक पीवीजीआई० शीट 45 बीएम।	30.17 आर०एम	80/- प्रति आर०एम	2413.60 रु
2.	वर्टीकल दविन /वन - ब्रिक्स	408.35 एमएल	78.79 प्रति एमएल	32173.90 "
			योग :-	34587.50 "

अतः इन प्रतिस्थानी मदों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जावे।

(3) अतिरिक्त मदें :-

व्यावहारिक प्राक्कलन के अनुसार निम्न मदों का कोई भी प्रावधान नहीं था जिनका कार्यान्वयन अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया है :-

क्रम सं०	विवरण मद	मात्रा	दर	राशि।
1.	आठवें चालू बिल पौड़ी	84.14 एम^2	30.00 प्रति एम^2	3029.00 रु
2.	""पौड़ी कॉलम पिलर्स स्ट्रक्चर सहित।	6.77 एम	1275 प्रतिएम^3	8293.00 "
3.	"" ...	26.40 एम	80.00 प्रति एम	2112.00 "
4.	"" आर.आर. स्टोन मेसनरी बीएम 1:6	16.76 एम^3	550/- प्रति एम^3	9218.00"

		ज्यूफेस	80.00	देय नहीं।
179/21.3.91	श्री एस०डी० भार्गवा	पेमेन्ट हार्डशिप (सिमेंट, कालकुलेशन) सिक्योरिटी	1378.45	देय नहीं।

258

5.	आठवें चल बिल.. आर.आर. मेसनरी सीएम 1:6		8.39 एम^3	660/- प्रति एम^3	5669.00रु
6.	""	एस0आर0 मेसनरी 1:6	12.09 एम^3	780/- एम^3	9430.00"
7.	""	द्वितीय श्रेणी कैल लकड़ी लगाने बाबत ।	0.992 एम^3	12500/-एम^3	12400.00"
8.	""	स्टोरेज. टैंक ।	4 नं0	3632/-	13928.00"
9.		सिंगल डबल ब्रांच	19 नं0	57/-	1083.00"
				योग :-	65162.00 रु

अतः स्पष्ट किया जाये कि व्यावहारिक प्राक्कलन बनाकर तैयार करते समय उपरोक्त वर्णित मदों को उसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया । अतः इस अनियमितता का नियमितीकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके किया जावे तथा अनुपालन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

§4§ संविदाकार का खाता §कान्ट्रेक्टर लेजर§

संविदाकार का खाता नहीं रखा गया है जिसमें संविदाकार के साथ व्यक्तिगत लेन-देन की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अब शीघ्र आरम्भ करके पूर्ण किया जावे तथा अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

§5§ तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य करवाना :-

नियमों के अनुसार कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जबकि तक कि उसका तकनीकी अनुमोदन न हो जाए इसी प्रकार प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान करनी अनिवार्य है । जबकि इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि न तो इस कार्य की कोई तकनीकी स्वीकृति ही ली गई है और न ही प्रशासनिक अनुमोद सक्षम अधिकारी से 31.03.91 तक प्राप्त किया था । जो कि शीघ्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के समय दिखाया जावे ।

		ज्यूबिल §	60.00	पत्र नहीं ।
179/21.3.91	श्री एस0डी0 भार्गवा	मैसर्स हार्डवेयर सिरप, कुलसुनिया, बिक्टोरिया §	1370.45	पेश नहीं ।

259

61. **प्राधिकरण को रु0 1,63,491/-रुपये की राशि आबंटियों को ब्याज के रूप में अदा करने से हानि ।**

दूसरी, तीसरी तथा चौथी सेल्फ फाईनासिंग योजना जो कि बी0सी0एस0 परिसर फेज-। की जारी विवरणिका के अन्तर्गत आवास निर्माण तथा फ्लाटों के निर्माण आदि के कार्य पूर्ण करके दिसम्बर, 1988 में आबंटियों को दे देने का वादा प्राधिकरण द्वारा किया गया था । परन्तु प्राधिकरण द्वारा विहित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण न करने के कारण उत्पन्न विवाद को सुलझाने हेतु तथा निर्माण कार्य का वास्तविक मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति का गठन अक्तूबर, 1990 में किया गया । जिसमें मुख्य कार्यकारी अभियन्ता संयुक्त सचिव (वित्त) तथा उपायुक्त एवं सचिव, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मिलित किया गया । इस समिति द्वारा मूल्यांकन तथा कीमत का अनुमोदन करते समय यह निर्णय लिया गया कि ऐसे आबंटियों को उन द्वारा जमा की गई राशि जो प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित वादे का उलंघन करते हुए दो वर्षों तक अपने पास रखी उसपर समस्त आबंटियों को सात प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में अदा किए जायें । तदानुसार प्राधिकरण द्वारा निम्न आबंटियों को ~~1,63,491.00~~ 1,63,491/ रुपये ब्याज के रूप में निर्धारित अवधि के ~~xxx~~ भीतर ~~कब्जा~~ न देने के कारण दिया गया । अगर यह कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करके वर्ष 1988 में दिये गए वचनानुसार आबंटियों को आवास आबंटित कर दिये होते तो प्राधिकरण को ब्याज के रूप में इतनी बड़ी राशि अदा करने की हानि उठानी नहीं पड़ती । प्राधिकरण को हुई इतनी अधिक हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाये तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करके उक्त राशि की वसूली की जाए । यह मामला सरकार के ध्यान में भी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । प्राधिकरण को भविष्य में ऐसी हानि से बचने के लिए समय रहते हुए उचित उपाय करने चाहिए ताकि आबंटियों द्वारा प्राधिकरण के हितों का ध्यान रखा जावें :-

	अभि0 कार्यालय	न्यूक्लियस]	00.00	पेश नहीं ।
170/21.3.91	श्री एस0के0 भार्गवा	मैसर्स हाईसिप (सिप, न्यूक्लियस) सिनटोफील	]378.45	पेश नहीं ।

260

क्रमांक	आबंटी का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या:	राशि जो जमा करवाई गई थी	ब्याज जो दिया गया।
1.	सर्वश्री बलजित सिंह	4187	1,00,000.00	5326.00
2.	श्यामा देवी	4125	45,000,00	2347.00
3.	बी०एस० चौहान	4140	60,000.00	3185.00
4.	रजनीश डोंग	4129	45,000.00	2347.00
5.	प्रविन सबरवाल	4171	60,000.00	3128.00
6.	अमृत लाल	4174	60,000.00	3128.00
7.	ब्रह्म देव	41[illegible]2	60,000.00	3174.00
8.	प्रकाश चन्द	4175	60,000.00	3128.00
9.	जे० एम० चड्डा	4122	45,000.00	2347.00
10.	सुरेश चन्द	4146	60,000.00	3128.00
11.	..	4130	45,000.00	2347.00
12.	के० के० सूद	4159	60,000.00	3185.00
13.	राजेन्द्र	4139	60,000.00	3449.00
14.	एस० के० गौतम	4202	1,25,000.00	6498.00
15.	जे० आर० कैंथ	4164	59,[illegible]74.00	3185.00
16.	आई० सी० शर्मा	4151	60,000.00	3128.00
17.	वी०पी० मंनारा	4181	1,00,000.00	5757.00
18.	बलदीप सिंह	4198	1,25,000.00	6498.00
19.	आर० एस० चौहान	4204	1,25,000.00	6482.00
20.	रमेश जैन	4126	45,000.00	2347.00
21.	मधु वर्मा	4203	1,25,000.00	6482.00
22.	भाग सिंह	4150	60,000.00	3128.00
23.	संयोगिता सेठ		60,000.00	3784.00
24.	सेन राम नेगी		60,000.00	3185.00
25.	~~सुमन/जेन~~ एस०के० कुराल	4166	60,000.00	3120.00
26.	—	4205	1,25,000.00	6498.00
27.	सुमन जैन	4184	1,00,000.00	5200.00
28.	सुरेश सूद	4128	45,000.00	2340.00

[illegible] ज्यूफिसर] 60.00 दण्ड गया।

179/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा मैसर्स हाईलैण्ड सिरप, कुसुमसोना, सिरटोफोर्ड] 378.45 देय गया।

29.	श्री जैन	4161	60,000.00	3120.00
30.	आर० के० मेहर	4173	60,000.00	3120.00
31.	उषा सोनी	6169	60,000.00	3120.00
32.	टी०डी० शर्मा	4170	60,000.00	3120.00
33.	श्री भूषण	4171	60,000.00	3120.00
34.	उमा कालिया	4168	60,000.00	3120.00
35.	गुलशन कुमार	4163	60,000.00	3120.00
36.	पी० के० शर्मा	4188	1,00,000.00	5200.00
37.	सुधा	4189	1,00,000.00	5200.00
38.	—	4176	60,000.00	3120.00
39.	उषा कुमारी	4123	45,000.00	2340.00
40.	पी० के० शर्मा	4152	60,000.00	3120.00
41.	रतन सिंह	4120	45,000.00	2340.00
42.	बी० बी० सैक	4148	60,000.00	3120.00
43.	एस० एस० नेगी	4156	60,000.00	3120.00
44.	जी० डी० कालिया	4145	60,000.00	3120.00
45.	एम० एस० नेगी	—	60,000.00	3120.00
			योग :-	1,063,491.00

62. परिवार नियोजन से सम्बन्धित :-

श्री मेहर सिंह वर्मा, सहायक जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, परिवार नियोजन के कारण रु० 30/-रु० व्यक्तिगत वेतन के रूप में 1.1.86 से (संशोधित वेतनमान में) प्राप्त कर रहे थे तथा 18.8.1989 से उन्हें उनकी ~~[illegible]~~ पदोन्नति 1800-3200 रुपये के वेतनमान में होने के कारण उनकी स्टेट टाउन प्लानिंग विभाग से वेतन निर्धारण सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 18.8.89 से परिवार नियोजन से सम्बन्धित व्यक्तिगत वेतन रुपये 30/- के स्थान पर 40/-रुपये प्रतिमास की दर से देना आरम्भ कर दिया गया जबकि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार

... [illegible].[illegible]

[illegible] ट्यूशिश (निपट) 60.00 [illegible]

179/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा (स्पेशल डाईटिप (सिरप, ऊनलूसीन) सिनटोफोस) 378.45 [illegible]

- 262 -

व्यक्तिगत वेतन में संशोधन केवल 1.1.86 को ही प्राप्त संशोधित वेतनमान को प्रथम वार्षिक/वृद्धि [वेतन] की दर से देय है तथा भविष्य में किसी अन्य संशोधन होने पर इस व्यक्तिगत वेतन में कोई अन्तर आना अपेक्षित नहीं है । इस प्रकार उपरोक्त सहायक को 15.12.1989 से [जिस दिन को वह प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आया है] 31.3.1991 तक उन द्वारा 245.50 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं । जो उनसे शीघ्र वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा कराये जावें तथा अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे तथा 1.4.91 से व्यक्तिगत वेतन रु0 30/-रुपये की दर से दिया जाए ।

63. **कोयला रजिस्टर :-**

[1] दिनांक 25.12.90, 30.1.91 तथा 1.3.91 सार्वजनिक अवकाश थे परन्तु कोयला रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि इन दिनों के लिए भी कोयला तथा लकड़ी प्रयोगार्थ जारी की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

स्टीम कोल	14 स्टोव	× 11 किलो	×3	=	462 किलो
लकड़ी	14 स्टोव	× 2 किलो	×3	=	84 किलो
कच्चा कोयला	3 अंगीठी	× 2 किलो	×3	=	18 किलो

अतः यह स्पष्ट किया जावे कि सार्वजनिक अवकाश होने के कारण भी इन 3 दिनों में स्टोव व अंगीठी जलाने के लिए कोयला व लकड़ी जारी करने का क्या औचित्य है । अतः उपरोक्त वर्णित दिनों के लिए जारी कोल, लकड़ी तथा कच्चे कोयले का निम्न विवरण अनुसार मूल्य 1223.44 रुपये बनता है, जिसकी वसूली सम्बन्धित भण्डार प्रभारी से करके प्राधिकरण निधि में जमा करायें जावें और अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

स्टीम कोल	1062.40 पैसे
लकड़ी	114.75 पैसे
कच्चा कोयला	46.09 पैसे
योग :-	1223.44 रुपये

.... 2230.1 [illegible]

[illegible] ज्यूकिस [00.00 देय नहीं ।

17/21.3.91 श्री एस0डी0 भार्गवा मैसर्स हार्डसिप [सिरप] कारखुसोन्स सिन्टोफोस] 378.45 देय नहीं ।

(2) कोल प्रयोग रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 6.3.1991 को 1000 किलो, 600 किलो तथा 200 किलो स्टीम कोल क्रमश: तीन उप-मण्डलों को जारी किया गया दिखाया है परन्तु उप-मण्डलों का नाम जिन्हें यह सामान जारी किया गया दिखाया है रजिस्टर में वर्णित नहीं है । और इस कोल की प्राप्ति के प्रमाण में कोई प्राप्ति रसीद भी नहीं है । इसके अतिरिक्त कोयला जारी करने बारे सम्बन्धित उप-मण्डलों के इन्डैंट भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे ।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त भण्डार से कोल तो जारी कर दिया गया है परन्तु इस कोल को जलाने हेतु कोई भी लकड़ी जारी नहीं की है ।

जारी किए गए कोल का कोई भी प्रयोग करने का लेखा बार-बार माँगने पर भी पड़ताल में प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: समस्त वाँछित अभिलेख आगामी पड़ताल में प्रस्तुत किए जायें या उपरोक्त वर्णित कोल का मूल्य वसूल करके जमा रोकड़ किया जावे ।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार शिमला स्थित सभी कार्यालयों में कोल का प्रयोग 15 नवम्बर से 15 मार्च तक मान्य है । परन्तु प्राधिकरण में कोल तथा लकड़ी का प्रयोग भण्डार रजिस्टर अनुसार क्रमश: 2.4.1991 तथा 21.3.1991 तक किया गया दिखाया है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 का अन्त शेष स्टीम कोल 95 किलो तथा लकड़ी 104 किलो 15.11.1991 को स्टाक में नहीं दिखाया गया है । इस प्रकार 16.3.91 से 2.4.91 तक कोल तथा 16.3.91 से 21.3.91 तक लकड़ी का अधिक व्यय दिखा करके रु0 5519.10 रुपये की प्राधिकरण को हानि की है जो कि स्टोर प्रभारी से वसूल करके जमा रोकड़ की जाए ।

स्टीम कोल :-

स्टाक रजिस्टर पृ0 32 पर दिखाया गया अन्त शेष (जो 15.11.91 को गत शेष नहीं दिखाया गया है) — 95 किलो

16.3.91 से 2.4.91 को दिखाया गया कोल का प्रयोग: — 2155 किलो

योग :- 2250 किलो

अतिरिक्त लकड़ी ... उपूकरण (00.00 ... नहीं ।

170/21.3.91 को एस0डी0 भार्गवा मैसर्स हार्डशिप (सिरप. कासुम्पटी शिमला) सिनटोफीस (378.45 देय नहीं ।

- 264 -

लकड़ी :-

वर्ष 1990-91 का अन्त शेष :-	104 किलो
16.3.91 से 21.3.91 तक प्रयोग में लाई दिखाई गई ~~24~~ लकड़ी :-	140 किलो
योग :-	244 किलो

मूल्य कोल :-

2250 किलो दर 225/-रु0 प्रति 100 किलो	5062.50 रुपये
मजदूरी :	112.50

लकड़ी :-

244 किलो	251.55 रु0
मजदूरी :	73.20 "
सेल्स टैक्स :-	19.35 "
कुल काबिले वसूली राशि :-	5519.10 रुपये

(4) स्टाक रजिस्टर पर दिखाए गए इस्तेमाल कोल व लकड़ी का इन्द्राज का सत्यापन किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके नहीं किया गया है । अतः स्टाक रजिस्टर में किए गए इन्द्राजों का सत्यापन अब सक्षम अधिकारी से करवा करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

64. अग्रिम धन :-

दिनांक 2.4.90 को रु0 1000/-रुपये तथा दिनांक 9.4 9.4.90 को 2000/-रुपये श्री ओ0 पी0 शर्मा विधि अधिकारी को अग्रिम के रुप में दिये । परन्तु इन अग्रिमों को देने का कोई भी उद्देश्य वर्णित नहीं है और न ही अग्रिम दिये जाने वाले सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पड़ताल में दिखाई गई । इस राशि को बिना प्रयोग किए ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा काफी विलम्ब के बाद वाउचर संख्या/29 दिनांक 4.6.90 के अन्तर्गत प्राधिकरण के खाते में जमा करवा दिया गया । इस विधि अधिकारी द्वारा यह राशि अपने पास बिना किसी प्रयोजन से दो मास तक रखी गई परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कारण

[illegible] ज्यूकबाक्स) 00.00 पेश नहीं ।

179/21.3.91 श्री एस0डी0 भार्गवा मैसर्स हार्डवेयर सिरप, कालकुसीना सिन्टोफोब) 378.45 पेश नहीं ।

नहीं दिया गया है ।

बिना किसी कारण से प्राधिकरण निधि को अपने पास रखना धन का अस्थाई दुर्विनियोजन था । इस अनियमितता बारे आवश्यक जाँच करके उपयुक्त कार्यवाही की जाये ।

65. मार्ग ~~का~~ व्यय बिल :-

वाउचर संख्या:9,10 तथा 11 दिनांक 1.6.90 के अन्तर्गत सर्वश्री एस०एन० निरमखी, सम्पदा अधिकारी एवं तहसीलदार, रली राम पटवारी तथा मुक्ती नाथ पटवारी द्वारा सरकारी गाड़ी से भ्रमण करने के मार्ग व्यय के रूप में 61 रुपये 36 रुपये तथा 36 रुपये क्रमशः प्राप्त किए हैं । परन्तु मार्ग व्यय बिलों पर गाड़ी का नं० तथा भ्रमण का प्रयोजन आदि नहीं दिया गया । जिससे इस अदायगी का सत्यापन नहीं हो सका । जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है । अतः इस अनियमितता का लेखांकन किया जावे ।

66. वाउचर संख्या:35 दिनांक 5.3.91 के अन्तर्गत श्री एस०एन० निरमखी, सम्पदा अधिकारी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 5.3.91 के सन्दर्भ में रु० 250/-रुपये अम्बाला की कोर्ट में हाजिर होने के लिए अग्रिम के रूप में दिये । परन्तु प्रार्थना पत्र में यह विवरण नहीं दिया गया है कि अम्बाला कोर्ट में किस मुकदमें की सुनवाई हेतु जाना गए । इसके अतिरिक्त अदायगी से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी नहीं ली गई तथा राशि प्राप्ति की रसीद भी वाउचर पर या इसके साथ उपलब्ध नहीं थी । अतः इस सम्बन्ध में अब शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

67. वाउचर संख्या: 165 दिनांक 24.9.92 :-

वाउचर संख्या:165 दिनांक 24.9.92 के अन्तर्गत श्री ओ० पी० शर्मा, सहायक कानून अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी को मास 8/90 व 9/90 का मार्ग व्यय 1428/-रुपये (मूल बिल 2428/-रुपये - अग्रिम 1000/-रुपये) अदा किए । जिसमें उपरोक्त अधिकारी को 17.50 रुपये दैनिक भत्ते के रूप में अधिक अदा किए

... ज्यूफिक्स) 60.00 देय नहीं ।

179/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा कैप्सूल डाईलिप, सिरप कफसुलीन, सिप्टोफीन) 378.45 देय नहीं ।

 266

हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

उपरोक्त अधिकारी दिनांक 26.8.90 को शिमला से 10.15 प्रातः चल करके सांय 7.30 बजे देहली पहुँचे तथा 45/-रु0 दैनिक भत्ते की दर से होटल में ठहरने पर 3/4 भाग के रुप में 33.75 रुपये प्राप्त किए जबकि उन्हें 26.8.90 का दैनिक भत्ता 35/-रुपये के दर से देय था तथा होटल ठहरने पर 26.25 रुपये देय थे। इस प्रकार 17.50 रुपये जो अधिक अदा हुए हैं को वसूली करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे। इसी बिल में उन द्वारा दिनांक 2.9.90 को देहली से शिमला आने के लिए टैक्सी में एक स्थान से करके रु0 200/-रु0 की प्रतिपूर्ति (प्रतिपूर्ति की) ली है। परन्तु बिल में न तो वाहन नं० ही दिया गया है और न ही इस अदायगी के प्रमाण में कोई रसीद ही बिल के साथ संलग्न है। इस प्रकार इस अदायगी का सत्यापन/जाँच पड़ताल में नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित अधिकारी से या तो यह अभिलेख लिये जावें या फिर बस का किराया जो देहली से शिमला तक का देय हो दिया जावे तथा शेष राशि वसूल की जावे और अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

68. <u>अभिलेख प्रस्तुत न करना :-</u>

लेखा परीक्षा में बार-बार आग्रह करने पर निम्नलिखित अभिलेख सत्यापक (आवश्यक) जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए। अतः इन समस्त अभिलेखों को जाँच पड़ताल हेतु आगामी पड़ताल के समय प्रस्तुत किया जावे।

1. वाहन (कार) संख्या:एच0आई0एस0-2673 एच0आई0एस0 3228 तथा एच0पी0एस0 6405 से सम्बन्धित लॉग बुक तथा रख-रखाव रजिस्टर।
2. ट्रक संख्या:एच0पी0-07-0822 की लॉग बुक तथा रख-रखाव रजिस्टर।
3. दूरभाष संख्या:6993,3336 तथा 3048 के दूरभाष ट्रंककाल रजिस्टर।
4. स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर।
5. स्थाई व अस्थाई स्टाक के रजिस्टर।

[illegible]	[illegible]	[illegible] ज्यूडिशियल	60.00	देय नहीं।
179/21.3.91	श्री एस0डी0 भार्गवा	मेम्बर डाईरेक्टर सिरप .... सिन्टोफिल	378.45	देय नहीं।

69. वास्तविक राशि प्राप्तकर्ता की रसीद प्रस्तुत न करना :-

निम्नलिखित अदायगियों से सम्बन्धित राशि प्राप्तकर्ताओं की अवत रसीदें प्रस्तुत नहीं की जो अब उपलब्ध करके आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावें ।

वाउचर सं0 व दिनांक	राशि जिसे अदा की गई ।	राशि (रु0)
25/3.9.90	श्री देविन्द्र कृष्ण	18000.00
26/3.9.90	श्री आर0 के0 आचार्य	18000.00
28/5.9.90	श्रीमती मधुरिमा	23700.00
30/3.9.90	..	23700.00
31/3.9.90	श्री मनमोहन सिंह	25750.00
32/3.9.90	श्री राम प्रकाश	25750.00
34/3.9.90	श्री तिलक राज तनेजा	54200.00
41/3.9.90	अधिशासी अभियन्ता प्रयोग	30.00
50/3.9.90	श्री राहुल ओसवा	54200.00
56/3.9.90	श्री नरेन्द्र सिंह	1750.00

70. अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित स्टाक/स्टोर क्रय किया गया परन्तु इस सामान का न तो कोई स्टाक इन्द्राज ही किया गया और न ही इसके प्रयोग का कोई लेखा रखा गया है । जो कि अनियमित/आपत्तिजनक है । अतः अब शीघ्र इस सामान का लेखांकन किया जावे और अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

वाउचर सं0 व दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0:	राशि	सामान का विवर
151/18.3.91	मै0 हरी दास एण्ड सन्ज	5635 2.2.91	819/-	20 रिम टाईप पेपर ।
152/18.3.91	मै0 आर0डी0 इलैक्ट्रीकल शिमला ।	1804 13.2.91	1512/-	बिजली का सा
		ज्यूकेस	60.00	देय नहीं ।
179/21.3.91	श्री एस0डी0 भार्गवा	कैप्सूल डाईलिप (सिरप, क्लसुसोना) सिन्टोफोस	378.45	देय नहीं ।

- 268 -

220/30.3.91	मै० वर्मा न्यूज़ पेपर	364 31.1.91	88.50	अखबारों का बिल माह 12/90 व 1/91
221/30.3.91	मै० जोशी मुद्रणालय शिमला	4544 20.12.90	240/-	रजिस्टर ।
98/9.9.90	श्री रमेश चन्द मिस्त्री	-- 20.8.90	200/-	कुर्सियों की मुरम्मत
169/24.9.90	मै० वर्मा न्यूज़ पेपर	31.7.90 31.8.90	44.90 46.50	अखबारों का बिल 6/90 व 7/90.
171/24.9.90	सिस्टम सेल्ज़ लोअर बाज़ार	1004 6.7.90	2486/-	किश्तों का भुगतान
189/27.9.90	मै० जोशी मुद्रणालय	-- 23.7.90	2260/-	7 पेपर ।

71. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का अधिक भुगतान :-

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि अधोलिखित मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अधिक/अनुचित भुगतान किए गए । यह राशि सम्बन्धित कर्मचारियों से शीघ्र वसूल की जाए और प्राधिकरण खाते में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापित करवाई जाए । वर्णित मामलों के अतिरिक्त यदि कोई इस प्रकार की अदायगी की गई हो उसे भी वसूल किया जाए ।

वाउचर सं० व दिनांक	नाम तथा पदनाम	दवाई का नाम	राशि जो अधिक भुगतान की गई	टिप्पणी ।
79/12.6.90	श्री कृष्ण लाल, सहायक	200 एमएल प्रोटीविन ।	28.00	देय नहीं है ।
94/13.6.90	श्री डी०आर० गर्ग सहायक ।	शिशु मुगल ~~[illegible]~~ कौन्बार	43.20 10.80	देय नहीं है ।
166/22.6.90	श्री पी० कपूर एस०ई०	लिंग्वान 20.00 अशगालिस्ट 3.30 पोसईज्वाईन 79.00 ड्राक्स पिपिस्ट25.00		यथोपरि --
	श्री [illegible] शर्मा [illegible]	[illegible] ज्यूकोस	60.00	देय नहीं ।
179/21.3.91	श्री एस०डी० भार्गवा	मेमसुल हाईलिप सिरप, क्यूलसुसोन, बिस्टोफोस	378.45	देय नहीं ।

269

166/22.6.90 श्री एस०डी० भण्डारी कार्यपालक अभियन्ता	स्वासिरेचन चूर्ण 9.00 कुमार्यासव 20.15 हरिद्राखंड 40.30 कुमार्यासव 20.15 स्वासिरेचन चूर्ण 9.00		...
79/25.6.90 श्री प्रकाश चन्द अनुभाग अधिकारी ।	20 एमएस अल्फालफा	60.00	देय नहीं और न ही चिकित्सक द्वारा प्रेस्क्राईब की गई है ।
20/3.9.90 श्री हेम राज गुप्ता	मकालचिट	12.70	देय नहीं है ।
21/3.9.90 श्री सुरेन्द्र नाथ, स०अ०	फैलाड्रिल लोशन	15.40	--"--
152/21.9.90 श्री प्रकाश चन्द, अ०अ०	मैटालिन	26.20	--"--
179/25.6.90 श्री प्रदीप कुमार, बोझ सहायक ।	कॉपलेक्स 20 गोलियाँ	1.00	--"--
188/28.6.90 श्री जे० के० खन्ना स०अ०	--	29.50	चिकित्सक द्वारा दवाईयाँ 29.1.90 को प्रेसक्राईब की गई हैं तथा उसी दिन क्रय की गई हैं । परन्तु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बिल 3 मास के उपरान्त प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार यह दावा कालातीत है ।
29 मास 12/90 श्री ओ० पी० रत्न क०अ०	स्वास कुठार 15.40 लक्ष्मी विकादी 19.05 शिली परर्कक 62.65 अर्जुनारिष्ट 23.35		देय नहीं ।
139/21.9.90 श्री प्रदीप चौहान	कैपटालिन	9.50	देय नहीं ।
125/14.3.91 श्री डी०आर० शर्मा	आईस	27.40	देय नहीं ।
"" श्री जगदीश चन्द शर्मा, सहायक ।	पोलोन्यूरोन	60.00	देय नहीं ।
"" श्री संजीव कुमार शर्मा	कोवाडेक्स	9.75	देय नहीं ।
172/20.3.91 श्री मनोहर लाल, अ०अ०	लिपोगार्डिन	56.00	देय नहीं ।
श्री डी०आर० शर्मा	फेरीफोर्ट न्यूफेरस	60.00	देय नहीं ।
179/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा	कैप्सूल डाईलिप सिरप कुलसुलोन सिनटोफोस	378.45	देय नहीं ।

9705

72. वाउचर संख्या:207 दिनांक 26.3.91 के अन्तर्गत श्री ई0आर0 शाँडिल को मु0 500/-रुपये की अदायगी की गई है । परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित किए बिना ही बिलकी अदायगी कर दी गई जो कि अनियमित है । अत: इस अनियमितता का लेखांकन किया जावे और अनुपालन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

73. निर्माण कार्य रजिस्टर व संविदाकारों का लेजर :-

निर्माण कार्यों का रजिस्टर व संविदाकारों का लेजर प्रत्येक अंकेक्षण प्रतिवेदन पड़ताल पत्र में आपत्ति उठाने पर भी अभी तक चालू नहीं किए गए हैं । इन महत्वपूर्ण अभिलेखों को क्रमश: प्रपत्र संख्या: पी0डब्ल्यु0डी.ए.-14 और पी0डब्ल्यु0डी.ए.-12 तथा 13 पर शीघ्र तैयार किए जावें । इसके अतिरिक्त चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर भी विहित प्रपत्रों पर बनाकर अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

74. स्टाक / स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन :-

स्टाक / स्टोर का प्रत्यक्ष वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है जिससे भण्डारण रजिस्टर में भारी अन्तर भी चल रहे हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में भी विस्तार से लिखा गया है । अत: भण्डार एवं स्टाक का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सत्यापन सुनिश्चित किया जाए जैसा कि पी0डब्ल्यु0डी0 मैनुअल के अध्याय -4 के पैरा 48 में निर्धारित है । इस सम्बन्ध में गत पड़ताल पत्र के पैरा संख्या:26 में भी आपत्ति उठाई गई थी । परन्तु प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । अत: जनहित में इस सम्बन्ध में अब शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

75. प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ को देय भत्ते :-

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी विशेष वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता दोनों ही प्राप्त कर रहे हैं । जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश संख्या:पी.ई.आर.ए.पी. -II (बी) (8)-1/83, दिनांक 19.4.91 के अन्तर्गत यह आदेश किये

< 271 -

किया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता व विशेष वेतन दोनों में से विकल्प के आधार पर एक ही अर्थात प्रतिनियुक्ति भत्ता व या विशेष वेतन देय होगा । इस विषय में अंकेक्षण द्वारा प्राधिकरण से स्पष्ट किया था कि ऐसे कर्मचारी / अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति भत्ता और विशेष वेतन दोनों ही प्राप्त कर रहे हों उन्हें विकल्प के आधार पर एक ही भत्ता दिया जावे । अत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों से विकल्प प्राप्त करके एक ही भत्ता दिया जाए । तथा एक भत्ते की वसूली की जावे और अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

76. आवास भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति :-

अगर कोई भी कर्मचारी / अधिकारी तथा उनकी पत्नी या पति सरकारी / अर्धसरकारी सेवा में हों और दोनों की तैनाती एक स्थान पर ही हो तो आवास भत्ता एक को ही देय होगा । परन्तु प्राधिकरण में नियुक्त कर्मचारियों / अधिकारियों से ऐसा कोई भी घोषणा पत्र नहीं लिया गया है जिससे इस तथ्य का सत्यापन किया जा सकता । अत: अब शीघ्र समस्त कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र उपलब्ध करें तथा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावे ।

इसी प्रकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु भी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा हाजिरी) नियम 1944 जो कि हिमाचल प्रदेश में भी लागू हैं के सेक्शन-5 का पैरा 1(2)(बी) के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही की जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जावे ।

77. लघु आपत्ति विवरणिका :-

इस रिपोर्ट को जारी करने से पूर्व लघु आपत्ति विवरणिका उचित कार्यवाही हेतु जारी कर दी गई है ।

272

78. निष्कर्ष :-

प्राधिकरण के लेखाओं में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है तथा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरा संख्या:5,10,11,12,13,14,15,16, 31.32.33 व 34 से 42 तक विशेष ध्यान दिये जाने व इन बारे शीघ्र उचित कार्यवाही की आवश्यकता है ।

गत पश्चात पत्रों के बकाया पैरों को निपटाने हेतु विशेष ध्यान दिया जावे ।

हस्ता/-
संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

1 MAR 1994

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)सी)15)(14) 75/83-खण्ड-6, दिनांक, शिमला-2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1) मुख्य कार्यकारी एवं मुख्य अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरण कसुम्पटी) शिमला-171009) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2) आयुक्त एवं सचिव (टी०सी०पी०) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

3) श्री राम लाल कपूर, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा), द्वारा...

संयुक्त निदेशक, 1-3-94
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

=:=:=

54 Pages   273 - 129.

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY, KASUMPTI SHIMLA-171009
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1991 (PROVISIONAL).

Previous year 1989-90.	Liabilities.	Amount. (Rs. P)	Total 1990-91. (Rs. P)	Previous year 1989-90.	Assets.	Amount (Rs. P)	Total 1990-91. (Rs. P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	CAPITAL FUND				FIXED ASSETS.		
2,80,00,000.00	Grant-in-aid from HP Govt.	-	2,80,00,000.00	7,32,030.96	As per Annexure 'A'.	6,92,125.00	6,92,125.00
50,00,000.00	Special Assistance for Pre-Project Activities.	-	50,00,000.00		WORK IN PROGRESS. C/o E.H.S. at N.I.C. Shimla. (i) Acquisition of land.		
	SURPLUS.			2,01,28,389.47	As per last balance sheet.	2,01,28,389.47	
5,70,886.19	As per last balance sheet.	5,70,886.19			Add during the year. 14,83,224.50		
	Add during the year.	5,11,066.39			Less [illegible] (-) 14,27,309.00		
		10,81,952.58	10,81,952.58		55,915.50	55,915.50	
	RESERVES.					a) 2,01,84,304.97	
	[illegible]						
1,42,204.68	As per last balance sheet.	1,42,204.68					
	Add during the year.	2,95,726.25					
		4,37,930.93	4,37,930.93		Less cost recovered by sale of flats.		
	LOAN FROM HP GOVT.						
	Loan from Govt. of India received through HP Govt.			(-)11,92,103.00	As per last balance sheet.	11,92,103.00	
30,46,800.00	As per last balance sheet.	30,46,800.00			Add during the year 19,84,641.00		
	Repaid during the year.	(-) 1,73,900.00			less Amount -14,27,309.00	5,57,332.00	
		28,72,900.00	28,72,900.00		5,57,332.00	(b) 17,49,435.00	
					Total a(-)b	1,84,34,869.97	

contd.2/-

1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
LOAN FROM HUDCO.				(ii) Expenditure on execution of works S.H.S. [illegible] Simla.		
As per last balance sheet.	92,39,000.00					
Repaid during (-)	28,32,000.00					
the year.	64,07,000.00	64,07,000.00	4,28,99,332.08	As per last balance sheet.	4,28,99,332.08	
H.P. GOVT. LOAN.				Add during the year.	1,28,10,366.54	
Loan from H.P. Govt. through H.P. Housing Board for acquisition of land [illegible]	31,80,000.00	31,80,000.00		(a)	5,57,09,698.62	
				Less cost recovered by sales of flats.		
OVER DRAFT.			(-)1,57,48,394.00	As per last balance sheet.	1,57,48,394.00	
Over draft from [illegible]	72,67,318.55	72,67,318.55		Add during the year. (+)	83,73,106.01	
EARNEST MONEY DEPOSIT FROM APPLICANTS UNDER VARIOUS SCHEMES.				(b)(-)	2,41,21,500.01	
				Total (a)-(b).	3,15,88,198.61	
As per last balance sheet.	11,75,77,416.40			Total (i)+(ii)	4,95,27,578.59	4,95,27,578.59
Add during the year.	2,02,10,131.50			RESIDENTIAL COMPLEX BELOW I.G.S. SHIMLA PHASE-I.		
	13,77,87,547.90			Acquisition of land.		
Refunded during the year (-)	55,82,682.75					
	13,22,04,865.15	13,22,04,865.15	54,58,770.65	As per last balance sheet.	54,58,770.65	
				Add during the year.	3,410.00	
				(a)	54,62,180.65	
				Expenditure on work.		
			2,26,43,079.40	As per last balance sheet.	2,26,43,079.40	
				Add during the year. (b)	2,08,89,672.95	
					4,35,32,752.35	
				Total a+b.	5,19,94,233.00	5,19,94,233.00

Contd.3/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	DEPOSIT FOR PREFERENTIAL ALLOTMENT UNDER VARIOUS SCHEMES.				RESIDENTIAL COMPLEX BELOW B.C.S. PH-II.		
[illegible],51,986.00	As per last balance sheet.	2,51,986.00			Acquisition of land.		
	Add during the year.	5,30,620.00		2,500.00	As per last balance sheet.	2,500.00	
		7,82,606.00			Add during the year.	2,30,17,408.00	
	Refunded/adjusted during the year.(-)	1,34,600.00			(a).	2,30,[illegible]	
	LIABILITIES AND RECOVERIES.	6,48,006.00	6,48,006.00		Expenditure on work.		
	Deposit work Town & Country Planning Deptt. H.P.			2,30,031.77	As per last balance sheet.	2,30,031.77	
	For carrying out various Planning Survey, Investigation for preparation				Add during the year.	8,[illegible]	
					(b)	10,58,397.47	
22,549.55	of Development plan of Shimla.	-	22,549.55		Total exp.	2,41,15,[illegible].47	2,41,15,805.47
					COMMERCIAL COMPLEX UNDER 1ST S.F.S.		
	Providing W.S.S. to Residual Area of Shimla Planning Area & Augmentation of Shimla W.S.S.			1,29,59,472.29	Expenditure on works. As per last balance sheet.	1,29,59,472.29	
					Add during the year.	1,41,[illegible]	
[illegible],58,918.19	As per last balance sheet.	1,66,58,918.19				2,51,59,[illegible]	2,51,59,[illegible].33
	Add during the year. 27344190/- (-) 44190/-				FELLING OF TREES AND CONVERSION INTO SLEEPERS IN COMMERCIAL COMPLEX.		
	Less transfer to Acquisition of land for W.S.S. 27300000/-	2,73,00,000.00		1,244.00	As per last balance sheet.	-	1,244.00
	(b)	4,39,58,918.19					

276

-4-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	(i) Less Expenditure during the year on works as per account adjusted.	(-) 20611896.28 (-) 44190.00		25,21,134.76	**STOCK IN HAND.** As per last balance sheet.	25,21,134.78	
	Total (-)	2,05,67,706.28			Less during the year.	(-) [illegible]	
						14,04,802.72	14,04,802.72
	(ii) Less Expenditure on acquisition of land.	(-) 14,71,499.00		25,290.75	STATIONERY ARTICLES.	25,225.00	25,225.00
				22,20,906.16	SUNDRY DEBTORS. As per last balance sheet.	22,20,906.16	
	Total (i)+(ii)	(-) 2,20,39,205.28	(-) 2,20,39,205.28		Add during the year.	+[illegible]	
						[illegible]	24,87,466.21
	Total (a)(-)(b)		2,19,19,712.91	2,19,19,712.91	LOAN & ADVANCES.		
				6,660.00	Warm clothing advance.	[illegible]	
	HP URBAN DEVELOPMENT PROJECT.			8,439.03	Advances with staff.	11,696.14	
	Shimla survey and planning of [illegible] [illegible]			675.00	[illegible] advances. [illegible] advance.	250.00 [illegible]	
						19,705.64	19,705.64
1,45,[illegible]	As per last balance sheet.		1,45,000.00		PREPAID EXPENSES. For telephones. As per last balance sheet.	35,[illegible]	
	Less expenditure during the year.		(-) 7,154.45	35,603.00	Add during the year.	7,606.00	
			1,37,845.55	1,37,845.55		43,[illegible]	43,209.00
	CONTRACTORS ACCOUNTS. (i) Earnest money and security deposit			5,110.00 3,000.00 700.00	SECURITY DEPOSIT. With H.P.S.E.B. -do- PWD. -do- M.C. Shimla.	13,464.00 3,000.00 700.00	
						17,164.00	17,164.00
19,36,408.00	As per last balance sheet.		19,36,408.00				
	Add during the year.		5,50,738.00				
			24,87,146.00				

Contd.5/-

1.	2.	3.	4.
	[illegible] MISC DEPOSIT.		
22,110.10	As per last balance sheet.	22,110.10	
	Less during the year.	(-) 5,418.00	
		16,692.10	
	[illegible] INCOME TAX.		
11,613.00	As per last balance sheet.	11,613.00	
	Add during the year.	56,266.00	
		59,279.00	
	[illegible] WITH HELD AMOUNT.		
-	With held amount of [illegible].	2,64,[illegible]	
	[illegible] (i+ii+iii+iv).	20,67,417.10	26,67,417.10
	EXPENSES PAYABLE.		
4,71,791.73	As per last balance sheet.	4,71,791.73	
	Add liabilities during the year.	[illegible]	
		11,46,180.73	
	Less liabilities cleared during the year.	(-) [illegible]	
	Aggregate liabilities.	6,31,160.[illegible]	6,31,160.03
	INTEREST PAYABLE TO ALLOTTEES.		
2,70,050.01	As per last balance sheet.	2,70,050.01	
	Add during the year	70.00	
		2,70,120.01	
	Less allowed during the year.	(-) 4,200.00	
		2,65,920.01	2,65,920.00

5.	6.	7.	8.
	INTEREST RECEIVABLE.		
	Interest accumulated on FDRs.		
1,21,44,136.03	As per last balance sheet.	1,21,44,136.03	
	Add during the year.	27,27,605.00	
		1,48,71,741.03	
	Less interest received.	(-) 81,10,740.66	
		67,61,000.35	67,61,000.35
	BALANCE CONSIDERATION RECEIVABLE ACCOUNT SHARES.		
75,36,478.70	As per last balance sheet.	75,36,478.70	
	Add during the year.	26,24,727.25	
		1,01,63,205.25	1,01,63,205.25
	FIXED DEPOSITS WITH SCHEDULED BANKS.		
7,49,42,827.01	As per annexure 'B'.	5,76,47,175.55	5,76,47,175.55
	CASH AND BANK BALANCE.		
55,08,481.34	As per annexure 'C'.	17,19,554.64	17,19,554.64
-	Cash in transit	31,00,000.00	31,00,000.00

Contd..6/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	RECOVERIES TO BE REMITTED.						
22,065.00	As per last balance sheet.	22,065.00					
	Add during the year.	2,594.00					
		24,659.00					
	Remitted during the year.	[illegible]					
		[illegible]	10,770.00				
	DETAILS OF REMITTANCE.						
	[illegible]						
	SUSPENSE ACCOUNT.						
5,625.00	As per last balance sheet.	5,625.00					
	Adjusted during the year.	5,625.00	-				
		-					

Contd...7/-

279-

:-7-: -134(?)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	provision for repair and maintenance of off-site services of Commercial Complex, SHS/KZC, 2nd SFS; 3rd PSFS & 4th PSFS.						
1,37,00,000.00	As per last balance sheet. Add for the year.	1,37,00,000.00 90,00,000.00					
		2,27,00,000.00	2,27,00,000.00				
[illegible],85,[illegible].34			23,17,75,343.75	[illegible],76,85,523.84			23,17,75,343.75

Assistant Controller(F.A.)
Shimla Development Authority,
[illegible], Shimla-171 [illegible].

3/92

Superintending Engineer,
Shimla Development Authority,
[illegible], Shimla-171 [illegible].

Chief [illegible],
Shimla Development Authority,
[illegible], Shimla-171 [illegible].

I have audited the above balance sheet of the Shimla Development Authority, Shimla-171009, for the year ending 31.3.1991 and report that the above balance sheet exhibits a true and fair picture of the state of affairs to the best of my information and explanation given and shown by the books of account.

Assistant Controller(Audit)
Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla.

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY, KASUMPTI, SHIMLA-171009

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1990-91 (PROVISIONAL).

Previous year 1989-90.	Expenditure.	Amount. (Rs. p)	Total 1990-91. (Rs. p)	Previous year 1989-90. (Rs. p)	Income.	Amount. (Rs. p)	Total 1990-91. (Rs. p)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1. TO ESTT. EXPENSES ACCOUNT.				BY INTEREST.		
[illegible]	(a) Salary and other allowances.	42,52,772.[illegible]		[illegible],636.77	(a) Interest on FDRs.	[illegible]	
[illegible]	(b) Medical charges.	[illegible]		55,27,175.00	(b) Interest accrued but not due.	27,27,[illegible]	
[illegible]	(c) Travelling charges.	[illegible]		[illegible]	(c) Interest on Saving Bank Account.	55,5[illegible]	
		[illegible]					
10,76,[illegible].17	2. TO OFFICE EXPENSES.	[illegible],573.43		-	(d) Interest on Mobilisation Advance.	70,003.00	
	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES.	[illegible].43	54,26,800.43			37,64,[illegible]	80,[illegible]4,497.20
[illegible]	3. TO DEPRECIATION ACCOUNT.	[illegible]	1,39,546.81	[illegible]	By Misc. Receipts.	[illegible]	16,16,230.[illegible]
-	4. INTEREST ON OVER DRAFT FROM P.N.B.	[illegible]	3,69,636.90	[illegible]	By Agency charges.	[illegible]	62,51,519.13
1,55,[illegible]	5. INTEREST ON P.N.B LOAN.	-	-				
25,[illegible]	6. INTEREST ALLOWED ON ADVANCE PAYMENTS MADE BY ALLOTTEES.	15,[illegible]	15,095.00				

Contd...2/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	7. PROVISION FOR INTEREST TO ALLOTTEES UNDER 2ND SFS.						
[illegible]9,450.00	8. PROVISION FOR REPAIR AND MAINTENANCE OF OFF SITE SERVICES OF COMMERCIAL COMPLEX SIS/KIS 2ND, 3RD & 4TH PHASES.						
[illegible]455.00		90,00,000.00	90,00,000.00				
[illegible]6,913.78	9. SURPLUS TAKEN TO BALANCE SHEET.	5,11,066.39	5,11,066.39				
[illegible]39,69,274.95		1,54,81,545.55	1,39,69,274.95				1,54,81,545.55

Assistant Controller(F&A),
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

3.1.92

Superintending Engineer,
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

Chief Engineer,
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

I have audited the above income and expenditure account of the Shimla Development Authority, Shimla-171009 and report that ~~that~~ above income and expenditure account exhibits a true and explanation given and shown by the books of account,

Assistant Controller(Audit)
Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla.

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE OF FIXED ASSETS
(Forming part of the Balance sheet as at 31st March, 1991)

Annex-A

S.No.	Particulars	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK: Cost as on 1.4.1990	Addition during the year	Sale/Deletion during the year	Total as on 31.3.91 Col.4+5(-) Col.6	DEPRECIATION: Upto 31.3.90	Written off deletion	During the year 90-91	Total as on 31.3.91 Col.8+10 (-)Col.9	NET BLOCK: W.D.V. as on 31.3.91 Col.7 (-)11	W.D.V. as on 31.3.90 Col.4(-) Col.8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Car HPA-6435	20%	65,172.51	-	-	65,172.51	61,631.54	-	4,505.16	67,136.72	16,[illegible].76	22,545.97
2.	Car HPA-946	20%	1,05,330.61	-	-	1,05,330.61	50,077.81	-	11,[illegible]	61,288.37	44,042.24	55,[illegible]
3.	Car HPA-2453	20%	1,22,241.22	-	-	1,22,241.[illegible]	37,265.6[illegible]	-	15,[illegible]6.64	[illegible]	79,165.56	96,[illegible]
4.	Car HPA-2673	20%	65,348.22	-	-	65,348.22	25,027.45	-	[illegible]	37,[illegible]	47,[illegible]	29,[illegible].72
5.	Car HPA-3226	20%	1,25,464.93	-	-	1,25,464.93	12,946.22	-	26,237.28	36,225.76	93,229.15	1,16,536.43
6.	[illegible] HP.07-3622	20%	-	2,61,323.75	-	2,61,323.75	-	-	27,47[illegible].56	27,4[illegible].56	1,43,[illegible]7	-
7.	Furniture and Fixtures	10%	1,33,114.81	22,73[illegible]	-	1,5[illegible].65	67,196.97	-	[illegible].16	6[illegible].12	1,14,726.7	[illegible]
8.	Office Equipment	15%	2,3[illegible],[illegible]32.67	14,3[illegible]	-	2,54,[illegible].67	54,91[illegible].56	-	1[illegible],[illegible]24.88	6[illegible].44	[illegible]7[illegible]	[illegible]6[illegible]
9.	Planning, Survey & Scientific Instruments	15%	3[illegible],969.99	-	-	3[illegible],9[illegible]9.9[illegible]	14,4[illegible]2.79	-	[illegible].88	[illegible].07	[illegible]	[illegible]
10.	General Tools & Plants	15%	2,[illegible]95.65	1,69[illegible]	-	4,[illegible]	1,150.24	-	330.64	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	Crockery & Cutlery	40%	2,[illegible]37.2[illegible]	-	-	2,137.[illegible]	1,075.31	-	463.15	1,14[illegible]	[illegible]04.76	1,1[illegible]7.06
12.	Books and Publication	-	5,534.20	1,[illegible]17.[illegible]	-	6,791.20	-	-	-	-	6,791.20	[illegible].20
	Grand Total		17,47,766.05	2,99,140.75	-	[illegible],46,[illegible]6.67	3,15,737.95	-	1,39,045.81	4,54,783.67	6,92,125.00	7,32,[illegible]

283 — 135.

ANNEXURE 'B'

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY KASUMPTI, SHIMLA-9.

SCHEDULE OF FIXED DEPOSIT WITH BANKS 1990-91.

Name of Bank. 2.	Amount. 3. (Rs. P.)
Punjab National Bank Shimla.	2,82,49,510.00
UCO Bank Nigam Vihar Shimla.	34,39,400.00
UCO Bank Shimla-1.	6,72,500.00
UCO, Bank, HQ. [illegible] & HP Area Shimla.	5,00,000.00
UCO, Bank, B.C.S. Shimla.	15,00,000.00
New Bank of India Shimla.	38,32,750.00
H.P. State Co-operative Bank Chhota Shimla Shimla.	12,24,200.00
-do- The Mall Shimla.	93,00,000.00
Syndicate Bank Shimla.	15,00,000.00
Central Bank of India Shimla.	4,21,815.55
GRAND TOTAL	5,06,40,175.55

-.-.-

GRAND TOTAL 19,19,564.64

284 - 139

ANNEXURE 'C'

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY DEPTT, SHIMLA-9.

SCHEDULE OF CASH AND BANK BALANCES FOR THE YEAR 1990-91.

Particulars. 2.		Amount. 3. (Rs. P.)
Cash in Hand(H.O).		83,427.95
Cash in Hand([illegible]-I).		4,703.05
Cash in Hand([illegible]-II).		1,857.76
Postage stamps(H.O).		107.35
	TOTAL.	90,096.11
SAVING BANK ACCOUNT.		
S/B Account with S.B.P. Shimla.		6,08,948.47
-do- UCO Bank Shimla.		360.67
-do- S.B.I. Shimla.		2,106.18
-do- P.N.B. Shimla.		33,826.25
-do- H.P. Co-operative Bank Shimla.		14,402.92
-do- UCO Bank Shimla([illegible]-I).		2,919.17
-do- P.N.B. Shimla([illegible]-I).		3,472.57
-do- P.N.B. Shimla([illegible]-II).		2,63,432.30
	TOTAL.	9,29,468.53
	GRAND TOTAL	10,19,564.64

-.-

200.00

[illegible] पत्र ... 1990-91 पैरा संख्या-4 में वर्णित।

परिशिष्ट संख्या: "ख"

दिनांक	सहायक निदेशक द्वारा लगाये गये दिन	अनु-भाग अधिकारी द्वारा लगाये गये दिन	कुल दिन	कुल शुल्क
26-8-92 से 28-8-92 तक	3	–	3	120.00
01-9-92	1	–	1	40.00
2-9-92 से 5-9-92 तक	4	–	4	160.00
7-9-92 से 10-9-92 तक	4	–	4	160.00
14-9-92 से 16-9-92 तक	3	–	3	120.00
21-9-92 से 26-9-92 तक	6	5	11	440.00
28-9-92 से 1-10-92 तक	4	2	6	240.00
3-10-92	1	1	2	80.00
5-10-92	1	–	1	40.00
7-10-92 से 9-10-92 तक	3	3	6	240.00
12-10-92 से 17-10-92 तक	6	6	12	480.00
19-10-92 से 24-10-92 "	6	6	12	480.00
26-10-92	1	1	2	80.00
27-10-92	–	1	1	40.00
28-10-92 से 31-10-92 "	4	4	8	320.00
2-11-92 से 7-11-92 तक	4	6	10	400.00
9-11-92	1	1	2	80.00
11-11-92 से 13-11-92 "	3	3	6	240.00
16-11-92 से 21-11-92 "	4	6	10	400.00
23-11-92 से 28-11-92 "	6	6	12	480.00
30-11-92 से 5-12-92 "	4	6	10	400.00
7-12-92 से 11-12-92 "	–	5	5	200.00
14-12-92 से 19-12-92 "	6	1	7	280.00
21-12-92 से 24-12-92 "	4	4	8	320.00
26-12-92	1	1	2	80.00
28-12-92 से 29-12-92 "	2	2	4	160.00
30-12-92 से	–	1	1	40.00
1-1-93 से 2-1-93 तक	2	2	4	160.00
4-1-93 से 8-1-93 तक	5	5	10	400.00
11-1-93	1	1	2	80.00
12-1-93 से 15-1-93 "	–	4	4	160.00
16-1-93 से 19-1-93 "	[illegible]	3	3	120.00
20-1-93 से 23-1-93 "	4	4	8	320.00

27-1-93 से 30-1-93 तक	4	4	8	290.00
1-2-93 से 5-2-93 "	5	2	7	280.00
8-2-93 से 12-2-93 "	5	5	10	400.00
15-2-93 से 18-2-93 "	4	4	8	320.00
20-2-93	1	1	2	80.00
22-2-93 से 27-2-93 "	6	6	12	480.00
1-3-93 से 6-3-93 तक	6	6	12	480.00
9-3-93 से 12-3-93 "	4	4	8	320.00
15-3-93 से 20-3-93 "	6	6	12	480.00
22-3-93 से 24-3-93 "	3	3	6	240.00
26-3-93	1	1	2	80.00
27-3-93	1	1	2	80.00
29-3-93 से 31-3-93 तक	3	3	6	240.00
2-4-93 से 3-4-93 "	2	2	4	80.00
6-4-93 से 8-4-93 "	3	3	6	240.00
12-4-93 से 13-4-93 "	2	2	4	160.00
16-4-93 से 17-4-93 "	2	2	4	160.00
19-4-93	-	1	1	40.00
20-4-93 से 21-4-93 "	2	1	3	120.00
22-4-93 से 24-4-93 "	3	3	6	240.00
26-4-93 से 30-4-93 "	5	5	10	400.00
3-5-93 से 5-5-93 तक	3	3	6	240.00
7-5-93	1	1	2	80.00
10-5-93	~~9~~	1	1	40.00
11-5-93 से 12-5-93 तक	2	2	4	160.00
15-5-93	-	1	1	40.00
17-5-93 से 22-5-93 "	6	6	12	480.00
24-5-93 से 26-5-93 "	(2) 3	(2) 3	(4) 6	(160.00) 40.00
27-5-93 से 29-5-93	3	-	3	120.00
3-6-93 से 5-6-93	3	-	3	120.00
7-6-93	1	-	1	40.00
	184	172	356	14250.00

~~सहायक निदेशक,~~
~~स्थानीय निधि लेखा विभाग,~~
~~हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002~~